गरीबी
(Poverty)

परिचय (Introduction)

'गरीबी से अभिप्राय है, जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति की अयोग्यता' (Poverty is the inability to get the minimum consumption requirements for life, health and efficiency)। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्कताएं शामिल होती है। इन न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं के पूरा न होने से मनुष्य को कष्ट तथा दु:ख झेलने पड़ते हैं तथा स्वास्थ्य कार्यकुशलता की हानि होती है। जिसके फलस्वरूप, उत्पादन में वृद्धि करना तथा भविष्य में गरीबी से छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप, गरीबी तथा उत्पादन का नीचा स्तर एक दूसरे का पीछा करना शुरू कर देते हैं।

वर्तमान में भारत सहित दुनिया के अधिकांश राष्ट्र गरीबी को आय अथवा खर्च की कमी के रूप में परिभाषित करते है। तथा गरीबी दूर करने के लिए इस बात पर अधिक ध्यान देते है कि निर्धन लोगों की आय को किस प्रकार बढ़ाया जाये। इस संदर्भ में प्रो. अमर्त्य सेन अलग विचार रखते है। उनके अनुसार, 'क्षमताओं' का अभाव गरीबी होती है, केवल लोगों की आय बढ़ाने से यह जरूरी नहीं है कि गरीबी दूर हो जाये।

आय बढ़ने के साथ-साथ लोगों की क्षमताओं का विकास भी होना चाहिए। आय की क्षमता में परिवर्तन स्वत: नही होता है, यह कई शर्तों व बातों पर निर्भर करता है।

वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) जैसी संस्थाएं गरीबी को समझने के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण को लागू कर रही है। वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा बहुआयामी 'निर्धनता सूचकांक' का निर्माण किया गया। इसमें गरीबी का पता लगाने के लिये लोगों की आय अथवा खर्च को ध्यान में रखने के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े हुए 10 मानकों के तहत लोगों की वंचनाओं की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है।

कुपोषण (Malnutrition)
• पोषण की कमी (Lack of Nutrition) ही कुपोषण है।
• हमारे शरीर को निम्न पोषक तत्त्वों की आवश्यकता होती है जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया के लिए सहायक होते हैं। • कार्बोहाइट्रेट एवं वसा - ऊर्जा के लिए। • प्रोटीन- वृद्धि एवं विकास के लिए। • विटामिन, खनिज लवण एवं पानी- उपापचय (Metabolism) के लिए। • अमीनो एसिड- जैविक पदार्थों के जनन अर्थात् जीवद्रव्य के निर्माण के लिए।
• भारत जैसे अल्पविकसित देशों में भुखमरी की समस्या यद्यपि कम पायी जाती है लेकिन लोगों (गरीबों) के द्वारा जो भोजन किया जाता है, वह केवल पेट भरने के लिए ही हो पाता है। अर्थात् उन्हें जीवित रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऊर्जा तो मिल जाती है लेकिन आवश्यक प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि नहीं मिल पाते हैं, जो सम्पूर्ण शरीर के जैव रासायनिक क्रिया में सहायक होते हैं। इससे शरीर की वृद्धि एवं विकास सम्पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है जिसे पोषण की कमी अर्थात् 'कुपोषण' कहा जाता है।

गरीबी के प्रकार (Types of Poverty)

गरीबी को मुख्यत: 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है:

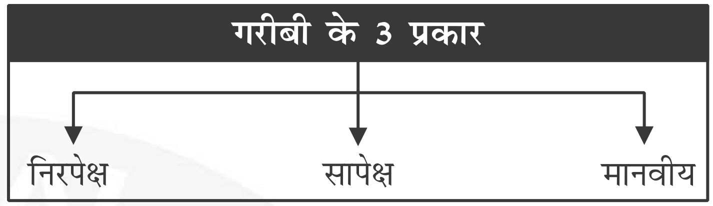

- ***निरपेक्ष गरीबी* (Absolute Poverty)-** जब ऊर्जा को आधार बनाकर गरीबी का निर्धारण किया जाता है तो उसे 'निरपेक्ष गरीबी' कहते हैं। अर्थात् जब व्यक्ति दैनिक ऊर्जा की प्राप्ति हेतु आवश्यक भोजन नहीं जुटा पाता तो उसे निरपेक्ष रूप से गरीब कहते हैं। भारत में ऊर्जा को गरीबी मापन का आधार बनाया गया जो शहरी क्षेत्र हेतु प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी हैं तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु प्रति व्यक्ति ऊर्जा की मात्रा 2400 कैलोरी निर्धारित की गई है।
- ***सापेक्ष गरीबी* (Relative Poverty) -** सापेक्ष गरीबी से अभिप्राय विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाली गरीबी से है। जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन निर्वाह स्तर नीचा होता है वे उच्च निर्वाह स्तर के लोगों या देश की तुलना में गरीब या सापेक्ष रूप से गरीब माने जाते हैं।
- ***मानवीय गरीबी* (Human Poverty) -** मानवीय गरीबी में ऊर्जा के साथ-साथ न्यूनतम रूप में आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से जुड़े खर्चों को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर न्यूनतम रूप से उचित मानव जीवन से जुड़ी आवश्यकताओं को आधार बनाया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, 'गरीबी', व्यक्ति को मिलने वाले विकल्पों एवं अवसरों से उसे वंचित करना एवं मानव गरिमा का उल्लंघन है। गरीबी के कारण व्यक्ति समाज में प्रभावी रूप से सहभागिता नहीं कर पाता है। इसका तात्पर्य परिवार के लिए भोजन एवं वस्त्र जुटाने में अक्षमता से है। गरीब व्यक्ति के क्रेडिट तक पहुंच न होने के कारण वह स्कूल या अस्पताल जाने में सक्षम नहीं होता है। संक्षिप्त में गरीबी से तात्पर्य व्यक्तियों, परिवारों एवं समुदायों की असुरक्षा, शक्तिहीनता तथा बहिष्कार से है।

कुल मिलाकर गरीबी कई रूपों में दिखाई दे सकती है। भूख व कुपोषण इसके रूप तो है ही साथ ही इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य बुनियादी सेवाओं तक पहुंच का अभाव होता है। बीमारियों के कारण अस्वस्थता तथा मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसके अंतर्गत आवास विहीनता या असुरक्षित पर्यावरण, सामाजिक भेदभाव तथा बहिष्कार देखने को मिलता है। इसे निर्णय निर्माण क्षमता में कमी तथा नागरिक द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में सहभागिता के ह्रास के रूप में भी देखा जाता है। विकासशील देशों तथा विकसित देशों के भी कुछ क्षेत्रों में व्यापक गरीबी दिखाई देती है। आर्थिक मंदी के कारण आजीविका खोने, संघर्ष या प्राकृतिक आपदा के कारण अचानक गरीबी पैदा होती है। कम मजदूरी वाले कामगारों में, पारिवारिक सहायता, सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों से बाहर हो गए लोगों में भी गरीबी पाई जाती है।

किसी भी व्यवहारिक समाज में जीवन स्तर का अंतर पूरी तरह से समाप्त नही हो पाता है, इसलिए 'वर्ल्ड बैंक' के अनुसार 'We are always to live with Poverty' विकसित राष्ट्रों में निरपेक्ष तथा मानवीय गरीबी चर्चा में नही रहती है, वहाँ सापेक्षिक गरीबी अधिक चर्चा में रहती है। इसके विपरीत भारत जैसे राष्ट्रों

में निरपेक्ष तथा मानवीय गरीबी अधिक चर्चा में रहती है। हालांकि समावेशी विकास के लक्ष्य के लागू होने के बाद भारत में सापेक्षिक गरीबी भी नीति निर्माण में महत्त्वपूर्ण स्थान लेती जा रही है।

कई बार सापेक्षिक गरीबी लोगों को निरपेक्ष गरीबी की ओर ढकेल देती है। ऐसा उस समय होता है जब लोग सामाजिक बहिष्करण (Social exclussion) से बचने के लिए जीवन स्तर को अनावश्यक रूप से ऊँचा करने की कोशिश करते है जबकि उनकी आर्थिक स्थिति उसके अनुसार नहीं होती है।

गरीबी मापन में प्रयोग आने वाली विधियां (Methodology use in Measurement of Poverty)

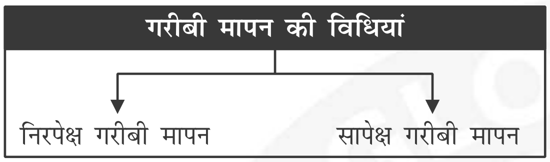

निरपेक्ष गरीबी मापन

भारत में निर्धनता का अनुमान

- भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (National Sample Survey Organisation- NSSO) द्वारा शीर्ष गणना अनुपात (Head Count Ratio- HCR) विधि का प्रयोग किया जाता है।
- इस विधि में लोगों के उपभोग हेतु न्यूनतम निर्णायक खर्चो को ध्यान में रखा जाता है। यदि किसी व्यक्ति/परिवार का खर्च निर्णायक खर्च से नीचे आता है तो उसे निर्धन माना जाता है। इस संदर्भ में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम निर्णायक खर्च अलग-अलग निर्धारित किया जाता है।
- उपर्युक्त विधि से निर्धन लोगों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। निम्न सूत्र का प्रयोग करते हुए HCR प्राप्त किया जाता है-

$$\text{शीर्ष गणन अनुपात (HCR)} = \frac{\text{निर्धनों की अनुमानित संख्या}}{\text{कुल जनसंख्या}} \times 100$$

अलघ समिति (1979) ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक वयस्क के लिए क्रमश: 2400 और 2100 कैलोरी की न्यूनतक दैनिक आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा निर्धारित की। इसके बाद लकड़वाला समिति (1993) की सिफारिश पर भारत में राज्य विशेष गरीबी रेखा तैयार की जाती है। अत: उपर्युक्त HCR प्रत्येक राज्य के लिये भी निकाले जाते है।

भारत में गरीबी मापने की विधि की कई आधारों पर आलोचना की जाती है। जैसे कि-

- शीर्ष गणना अनुपात (HCR) से यह तो पता लग जाता है कि जनसंख्या का कितना भाग गरीबी से पीड़ित है। लेकिन उससे यह पता नहीं लग पाता है कि संबंधित लोग गरीबी से कितने प्रभावित है। अर्थात् गरीबी की गहनता का पता नहीं लग पाता है।
- कई लोगों के अनुसार खर्च विधि अधिक उपर्युक्त नहीं होती है। कई बार खर्च इसलिये अधिक हो जाते हैं कि लोगों द्वारा उधार ले लिया गया हो और कई बार खर्च इसलिए कम पड़ सकते है, कि लोगों द्वारा बचत कर ली गई हो।
- भारत में वंचनाओं के आधार पर शीर्ष गणना अनुपात नहीं निकाला जाता है। जबकि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जैसी संस्थाएं इस पर अधिक जोर दे रही हैं।
- यह विधि सभी निर्धनों की आय को समान समझती है जबकि निर्धनों की आय में भी विषमता पायी जाती है।

निर्धनता रेखा (Poverty Line)

- इससे अभिप्राय उस सीमा बिंदु (Cut off Point) से है। (सामान्यत: प्रति व्यक्ति व्यय के रूप में) जो किसी क्षेत्र के लोगों को निर्धन तथा धनी में विभाजित करता है। उदाहरण के लिए, 500 रुपये प्रति मास प्रति व्यक्ति व्यय को सीमा बिंदु मान लिया जाए, तब 500 रुपये से कम व्यय करने वाला निर्धन और 500 रुपये से अधिक व्यय करने वाले को समृद्ध कहा जाएगा।
- निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को व्यक्ति गणना अनुपात (Head Count Ratio) अथवा निर्धनता प्रभाव अनुपात (Poverty Incidence Ratio) कहा जाता है।
- निर्धनता सीमा रेखा का निर्धारण या तो आय के रूप में या उपभोग के रूप में किया जा सकता है।
- आय की तुलना में उपभोग एक बेहतर मापदंड (Parameter) है। इसका कारण यह है कि उपभोग किसी व्यक्ति द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं के वास्तविक प्रयोग को दर्शाता है, जबकि आय केवल खरीदने की क्षमता व्यक्त करती है।
- आय के वितरण संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं (जबकि उपभोग से संबंधित व्यापक आंकड़े उपलब्ध हैं)। उपभोग स्तर को भारत में प्राय: निर्धनता रेखा की एक सीमा माना जाता है।
- निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए भारत में निर्धनता रेखा (Poverty Line) की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। निर्धनता रेखा वह रेखा है, जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को व्यक्त करती है। जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
- भारत में 816 रुपये ग्रामीण क्षेत्र तथा 1,000 रुपये शहरी क्षेत्र में प्रति मास उपभोग को निर्धनता रेखा माना गया है। जिन लोगों का प्रतिमाह उपभोग व्यय इससे कम है उन्हें निर्धन माना जाता है।
- निर्धनता रेखा की नई परिभाषा के आधार पर वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात 21.9 प्रतिशत है।
- अर्थव्यवस्था में गरीबी अभी भी एक बड़ी चुनौती है, हालांकि भारत में गरीबी थोड़ा पहले से कम हुई है। यहाँ लगभग 84 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं, जो मई 2021 तक इसकी कुल आबादी का 6% है। कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष 90-115 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी का शिकार हो गये, कुल मिलाकर वर्ष 2021 तक यह 400 मिलियन तक हो गया।

भारत में गरीबी मापने की तेंदुलकर विधि (तेंदुलकर समिति, 2009)

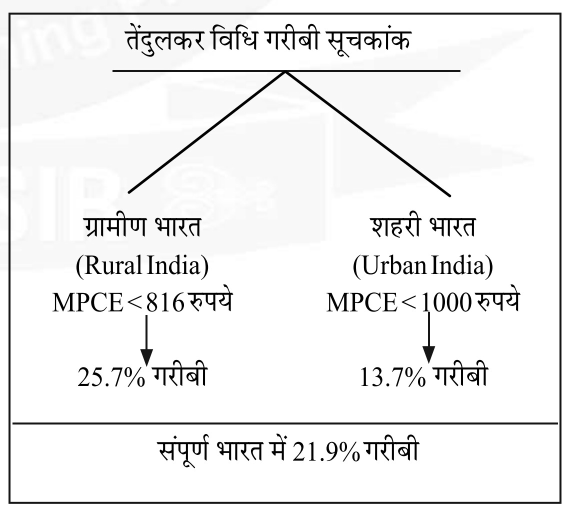

सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा गरीबी के अनुमानों की विधि में बदलाव

वर्तमान मे भारत में तेंदुलकर विशेषज्ञ दल द्वारा सुझाए गये बदलावों के आधार पर गरीबी के अनुमानों का संग्रहण किया जाता है। ये बदलाव मुख्य रूप से निम्न हैं-

1. ऊर्जा के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े न्यूनतम खर्चों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
2. गांवों और शहरों के लिए (Poverty Line Basket- PLB) एक समान होनी चाहिए। इसे खरीदने की मौद्रिक आवश्यकताएं अलग-अलग हो सकती है।
3. गरीबी का अनुमान लगाते समय NSSO, MRP- (Mixed Recall/ Reference Period) का प्रयोग करता है। इसके लिए खाने-पीने की वस्तुओं को 30 दिन के संदर्भ में तथा शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए 365 दिन के संदर्भ में व्यय को शामिल किया जाता है।

30 दिन → खाद्य वस्तु
365 दिन → शिक्षा और स्वास्थ्य।

नोट- *ध्यातव्य है कि NSSO के द्वारा तेंदुलकर कमेटी की अधिकांश अनुशंसा को मापते हुए गरीबी मापन की नई विधि MMRP (Modified Mixed recall Period) का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें खाने पीने की वस्तुओं के 30 दिन के स्थान पर 7 दिन का Recall period निर्धारित किया गया है हालांकि शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए 365 दिन की ही अवधि निर्धारित की गई हैं।*

गरीबी पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट, 2012 (Rangarajan Committee Report on Poverty-2012)

वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित NSSO द्वारा लगाया गया अनुमान विवादास्पद रहा। इसी संदर्भ में रंगराजन कमेटी का गठन किया गया। रंगराजन कमेटी के द्वारा तेंदुलकर कमेटी की अनुशंसा को तो स्वीकार कर लिया गया परंतु MPCE (Monthly per capita Expenditure) को ऊंचा कर दिया गया। डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों के लिए इस समिति का गठन किया गया था-

- गरीबी स्तर के अनुमानों के लिए वैकल्पिक पद्धति उपलब्ध कराना तथा इस बात का परीक्षण करना कि क्या गरीबी रेखा का निर्धारण केवल खपत (Consumption Basket) के आधार पर करना चाहिए या कोई अन्य तार्किक मापदंड भी हो सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय गरीबी अनुमानों की पद्धतियों की समीक्षा करना तथा इस बात का संकेत करना कि क्या इन आधारों पर भारत में व्यवहारिक गरीबी अनुमानों के लिए किसी विशिष्ट पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है।
- इस बात की अनुशंसा करना कि किस तरह गरीबी के इन अनुमानों को भारत सरकार के विभिन्न स्कीमों की योग्यता एवं अधिकारिता से जोड़ा जा सकता है। इस समिति ने जुलाई 2014 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

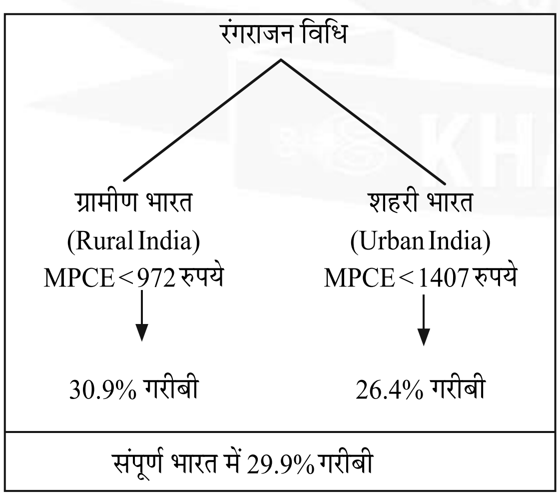

इस तरह योजना आयोग समय-समय पर गठित विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाओं के आधार पर गरीबी का मापन करता रहा है। गरीबी अनुमानों के आँकड़ें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के खपत व्यय सर्वेक्षणों से लिए जाते हैं। जिसे सामान्य रूप से आर्थिक विशेषज्ञों एवं नीति निर्माताओं द्वारा विश्वसनीय माना जाता है। भारत में गरीबी अनुमानों को निर्धारित करते समय प्रमुख विवादित मुद्दा यह होता है कि खपत के अंतर्गत कौन सी वस्तुएँ शामिल की जानी चाहिए एवं इनका मौद्रिक मूल्य (Monetary Value) क्या होना चाहिए?

रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, गरीबी रेखा का अनुमान प्रति व्यक्ति मासिक व्यय रुपये 1407 शहरी क्षेत्रों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये होनी चाहिए।

सशक्तिकरण रेखा

- मैकेन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट (MGI) द्वारा भारत में गरीबी के वास्तविक स्तर का पता लगाने के लिए एक नई अवधारणा का प्रयोग किया गया है। इसे सशक्तीकरण रेखा के नाम से संबोधित किया गया है। यह रेखा भारत सरकार की गरीबी की रेखा से काफी ऊंची रखी गई है। (MPCE = 1336 रुपये)।
- सशक्तिकरण रेखा निर्धारित समय MGI का मूल भाव यह रहा कि लोगों को तीन बातों का ध्यान हमेशा रहना चाहिए-
  - आर्थिक सुरक्षा (Economic Security)
  - अवसर (Opportunity)
  - सम्मान (Dignity)

गरीबी रेखा से ऊपर निकालने के लिए निम्नलिखित आठ मूलभूत आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया जाना चाहिए-

- भोजन (Food)
- स्वच्छता (Sanitation)
- ऊर्जा (Energy)
- स्वास्थ्य देखभाल (Health Care)
- आवास (Housing)
- शिक्षा (Education)
- पेयजल (Drinking Water)
- सामाजिक सुरक्षा (Social Security)

सापेक्ष गरीबी मापन

इस प्रकार की गरीबी मापन के संबंध में दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं- लॉरेंज वक्र विधि तथा गिनी गुणांक (Gini Coefficient)। लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज (Max O. Lorenz) ने विकसित किया जबकि गिनी गुणांक को 1912 में इटैलियन सांख्यिक कोरेडो गिनी (Corrado Gini) ने विकसित किया।

लॉरेंज वक्र को खींचने के लिए हम X अक्ष पर परिवारों का संचयी % (Commulative %) रखते हैं जबकि Y अक्ष पर कुल आय का संचयी प्रतिशत लेते हैं। स्पष्ट है लॉरेंज वक्र शून्य से शुरू होकर 100 पर समाप्त होगा। यदि समाज के 10% लोगों के पास कुल आय का 10% ही हो, 20% के पास 20% ही आय हो या यूँ कहिए कि X% के पास x% ही आय हो तो इन्हें प्रदर्शित करने वाली रेखा 45° रेखा होगी, रेखाचित्र में BD रेखा ऐसी रेखा है जिसे हम पूर्ण समता रेखा (Perfect Equality line) कहते हैं। यदि जिस चर को नापा जा रहा है उसका मूल्य ऋणात्मक (Negative) नहीं हो सके तो-

- लॉरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा के ऊपर नहीं उठेगी।
- पूर्ण असमानता रेखा के नीचे नहीं जा सकती।
- बढ़ती हुई होगी तथा उत्तल फलन (Convex function) होगी।

पूर्ण समता रेखा को हम निरपेक्ष समता रेखा (Equality line) भी कह सकते हैं। यह एक मानक या काल्पनिक रेखा होगी। वास्तविक आंकड़ों पर आधारित लॉरेंज वक्र इस समता रेखा से जितनी दूर होगी, विषमता उतनी ही अधिक होगी जैसा रेखाचित्र में प्रदर्शित है।

स्पष्ट है लॉरेंज वक्र जितनी ही निरपेक्ष समता रेखा के पास होगा, आय की

विषमता उतनी ही कम होगी। यदि सम्पूर्ण आय किसी एक ही व्यक्ति के पास हो तो पूर्ण असमान आय वितरण होगा और इसे प्रदर्शित करने वाली रेखा BT होगी। सापेक्ष गरीबी के माप की एक दूसरी विधि गिनी गुणांक की है। गिनी गुणांक आय के वितरण के विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है।

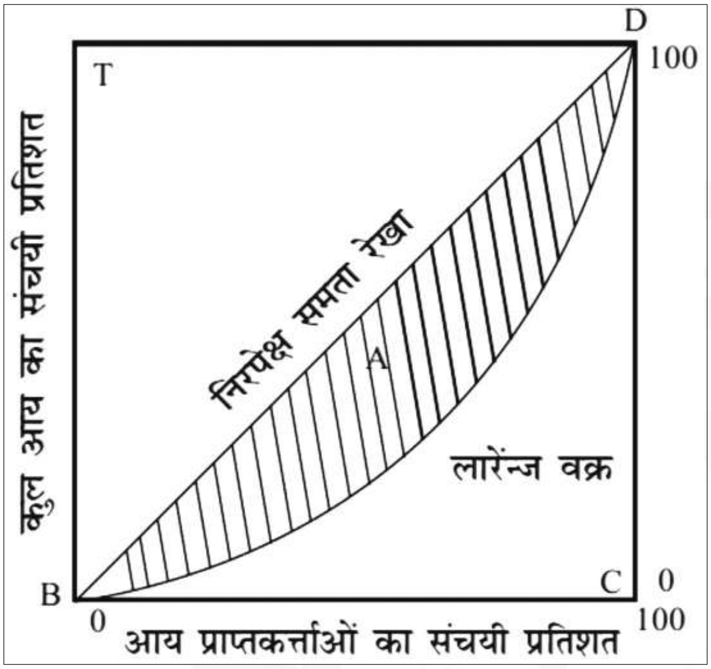

जो आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अन्तर (Income difference) की माप करती है। यह वास्तविक लॉरेंज वक्र तथा निरपेक्ष समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा निरपेक्ष समता रेखा के नीचे के संपूर्ण क्षेत्र के बीच अनुपात प्रदर्शित करता है।

ऊपर दिये गये चित्र में गिनी गुणांक (G) =

$$\frac{\text{छायांकित क्षेत्रफल (A)}}{\text{समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल (BCD)}}$$

यदि G = 0 तो प्रत्येक व्यक्ति को एक ही आय मिल रही है यदि G = 1 तो एक ही व्यक्ति पूरी आय प्राप्त कर रहा है। इसलिए गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होगा (उस समजय जबकि पूर्ण विषमता हो) तथा न्यूनतम मूल्य शून्य के बराबर होगा (जबकि पूर्ण समता हो)। उल्लेखनीय है कि आयंगर तथा ब्रह्मनंद ने भारत के संबंध में पहली योजना से लेकर छठीं योजना तक के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए उपभोग व्यय पर लॉरेंज का गिनी गुणांक निकाला और पाया कि पिछले 20 वर्षों में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विषमता ज्यों की त्यों रही है।

गिनी गुणांक में यदि 100 से गुणा कर दें तो हमें गिनी सूचकांक मिल जायेगा। उल्लेखनीय है कि लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक आय की विषमता की माप से सम्बन्धित हैं, आय की विषमता को प्रतिव्यक्ति आय या कुट्ज्नेत्स विषमता वक्र से नहीं मापा जा सकता। इसे विभिन्न आय वर्गों में जनसंख्या के प्रतिशत बंटवारे के आधार पर ही मापा जा सकता है। प्रतिव्यक्ति आय इससे संबंधित नहीं हैं।

गरीबी का सेन दृष्टिकोण

गरीबी का यह दृष्टिकोण, इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले सभी समानरूप से गरीब नहीं होंगे, जो गरीबी रेखा से जितना ही दूर होगा वह उतना ही अधिक गरीब होगा। अर्थशास्त्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रो.ए.के.सेन ने अपने 'इकोनॉमिक्स एण्ड पॉलिटिकल वीकली 1973' में प्रकाशित लेख 'Poverty, Inequality and Unemployment' में एक विधि विकसित किया, जिसके आधार पर हम गरीबी की गहनता (Intensity of poverty) ज्ञात कर सकते हैं।

विषमता समायोजित प्रतिव्यक्ति आय-धारणा

इस धारणा का प्रतिपादन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रो. अमर्त्य सेन ने किया। उन्होंने आय के स्तर तथा उसके वितरण के आयाम को जोड़कर आर्थिक कल्याण की माप के लिए इस धारणा को विकसित किया उनके अनुसार

$W = \mu(1 - G)$
जिसमें W = कल्याण
μ = प्रति व्यक्ति आय
G = विषमता की आय

स्पष्ट है कल्याण (W) में वृद्धि होगी यदि प्रतिव्यक्ति आय (μ) में वृद्धि हो या G में कमी आये।

सरल रूप में इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए गरीबी रेखा 200 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिमाह है, अर्थात् 200 रुपया प्रतिमाह से नीचे अर्जित करने वाले सभी व्यक्ति गरीब हैं। इन सभी व्यक्तियों को हम अवरोही क्रम (Decending Order) जैसे- 200, 199, 198, 197, 196 में रख लेते हैं, इस क्रम में जो व्यक्ति जितना अधिक ऊपर होगा वह उतना ही कम गरीब होगा। इसीलिए प्रो.ए.के. सेन यह स्पष्ट करते हैं कि यह जानना पर्याप्त नहीं है कि कितने लोग गरीब हैं बल्कि किस प्रकार वे ठीक रूप से गरीब हैं। प्रो. सेन ने इस कमी को दूर करने के लिए एक निर्देशांक विकसित किया जिसे हम 'सेन का निर्देशांक' या 'सेन का गरीबी गुणांक' कहते हैं। सेन के अनुसार, गरीबी की सही तस्वीर ज्ञात करने के लिए हमें गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को नहीं गिनना चाहिए, बल्कि हमें प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में गरीबी रेखा से आय की गिरावट को देखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की आय गरीबी रेखा से कितना नीचे है। उनके अनुसार गरीबों की आय की गरीबी रेखा से गिरावट को भारांकित करके गरीबी को मापा जा सकता है। सेन के अनुसार, भारांकन की सबसे अच्छी विधि यह होगी कि गरीबी रेखा से नीचे के सापेक्षिक रूप से धनी व्यक्ति को आय की गरीबी रेखा से गिरावट की तुलना में उससे गरीब व्यक्ति की आय को गरीबी रेखा से गिरावट को अधिक भार दिया जाए। इस प्रकार यदि गरीबी रेखा से नीचे आय वाले लोग हों, तो आय की कमी वाला सबसे धनी गरीब को भार 1 प्राप्त होगा, उसके बाद वाला दूसरे धनी को भार 2 प्राप्त होगा तथा इस प्रकार अन्तिम गरीब को Q भार प्राप्त होगा। इसके आधार पर गरीबी के मापक P को ज्ञात किया जा सकता है। इस रूप में जो सबसे अधिक गरीब है, उसकी गरीबी की गहनता अधिक प्रतिबिम्बित होती है। सेन का P सूचकांक 'हेडकाउन्ट अनुपात' से अधिक व्यावहारिक, अर्थपूर्ण तथा सही है। सेन के अनुसार P गुणांक तथा गिनी गुणांक में कुछ समानता (Affinity) अवश्य है पर यह वास्तविक नहीं। P एक निरपेक्ष माप है, इसलिए इसके आधार पर स्पष्टत: कल्याण सम्बन्धी निर्णय (Unambiguous Welfare Judgement) लिया जा सकता है। यह हेड काउन्ट अनुपात तथा सापेक्ष विषमता सम्बन्धी सभी मापों से

उत्तम है। गिनी गुणांक तथा लॉरेंज की तुलना में P में कम आँकड़ा एकत्रित करने की आवश्यकता होती है।

भारत में गरीबी का स्तर (Poverty Level in India)

भारत सरकार के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 के लिए गरीबी का स्तर 21.9% पाया गया जो NSSO के गरीबी के 68वें चक्र के अनुमान (20 जून, 2013) पर आधारित है। इस सारणी में अन्य वर्षों को भी शामिल किया गया है।

निर्धनता अनुपात (प्रतिशत में)

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	संपूर्ण भारत
1993-94	50.1	30.8	45.3
2004-05	41.8	25.7	37.2
2011-12	25.7	13.7	21.9

- भारत में गरीबी के स्तर को लेकर भारतीय एवं वैष्विक संगठनों में एकमत देखने को नहीं मिलता है। 'United National Development Programme'-(UNDP) के अनुसार, भारत में गरीबी का वास्तविक स्तर 2011 के लिए 53.4% है। यहां पर UNDP गरीबों की गणना करने हेतु बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का प्रयोग करता है।
- मैकेन्जी द्वारा जारी की गयी एक रिपोर्ट (Mckinsey Global Institute-MGI, Mumbai) में भारत में गरीबी का स्तर 56% बताया गया है। यह संगठन इस संदर्भ में सष्ठाक्तिकरण संकल्पना का प्रयोग करता है।
- ग्लोबल MPI रिपोर्ट इंगित करती है कि वर्ज़ 2020 में भारत 107 देष्ठाों में 62वें स्थान पर है, जिसमें MPI स्कोर 0.123 है और 27.9% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी में है। यह संख्या ग्रामीणों के लिए 36.8% और ष्ठाहरी के लिए 9.2% है।

भारत में गरीबी के संबंध में विभिन्न संगठनों के अनुमान योजना आयोग (Planning Commission)	
योजना आयोग (Planning Commission)	21.9% (तेंदुलकर विधि)
एन.एस.एस.ओ. (NSSO)	29.9% (रंगराजन विधि)

- विश्व बैंक (World Bank)।
  - प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति आय <$ 1.25 - 32.68%
  - प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति आय <$ 2.00 - 74.00%

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index-MPI)

- यह सूचकांक UNDP द्वारा वर्ष 2010 में विकसित किया गया था। इसमें 3 मुख्य आयामों को 10 उप आयामों में विभाजित किया गया है।
- इनके माध्यम से गरीबी की व्यापक समझ विकसित होती है और उसका मूल्यांकन सरल हो जाता है।

ऊपर दिए गए चार्ट से स्पष्ट है कि MPI को प्रभावित करने वाले 10 संकेतक हैं जो मुख्य आयोम-स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन निर्वाह के स्तर से संबंधित हैं। MPI की गणना में परिवार के इकाई के रूप में लिया जाता है। बहुआयामी रूप से गरीब की पहचान के लिए प्रत्येक परिवार का प्रत्येक संकेतक के संबंध में वंचन स्कोर ज्ञात किया जाता है तथा सबको जोड़कर परिवार का वंचन स्कोर (Household Deprivation-C) ज्ञात किया जाता है।

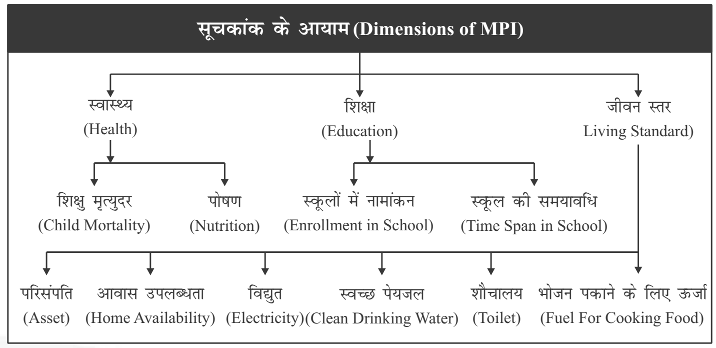

MPI का मूल्य दो मापकों- (क) बहुआयामी हेडकाउंट अनुपात (H) तथा (ख) गरीबी की गहनता (Intensity of Poor) (A) का गुणनफल है। इसमें H बहुआयामी गरीब जनसंख्या का कुल जनसंख्या में अनुपात प्रदर्शित करता है-

$$(H) = \frac{q}{n}$$

जिसमें q बहुआयामी गरीबों की संख्या तथा n कुल जनसंख्या प्रदर्शित करता है। सूत्र में प्रयुक्त A उन भारित संकेतकों के अनुपात को प्रदर्शित करता है जिसमें औसतन गरीब लोग वंचन की स्थिति में हैं। केवल गरीब परिवारों के लिए वंचन स्कोर का योग किया जाता है तथा उसे गरीबों की संख्या से भाग कर दिया जाता है-

$$(A) = \frac{\sum c}{qd}$$

जिसमें c भारांकित वंचन की कुल संख्या है जिसे गरीबों द्वारा महसूस किया गया, d संकेतकों की कुल संख्या है।

MPI = H. × A.

MPI 2021 को सितम्बर 2021 में रिलीज किया गया। ग्लोबल एमपीआई वर्ष 2020 में भारत 107 देशों की सूची में 62वें स्थान पर है।

वर्ष 2020 में भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग-

श्रीलंका	-	25
नेपाल	-	65
बांग्लादेश	-	58
म्यांमार	-	69
पाकिस्तान	-	73
चीन	-	13

नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक

राष्ट्रीय बहु-आयामी निर्धनता सूचकांक: बेसलाइन रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 पर आधारित है, जिसे **2015-16 में संचालित किया गया था। एनएफएचएस का संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) द्वारा किया जाता है।**

राष्ट्रीय एमपीआई (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 पर आधारित, डेटा अवधि-2015-16): आयाम, संकेतक और निष्कर्ष

- **भारत का राष्ट्रीय एमपीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन वृहद आयामों में परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले कई और**

एकसाथ अभावों को शामिल करता है। राष्ट्रीय एमपीआई आयाम, संकेतक और मापन नीचे दिए गए हैं:

- राष्ट्रीय एमपीआई हेडकाउंट अनुपात और तीव्रता के अनुमान न केवल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए बल्कि सभी जिलों के लिए भी प्रस्तुत किए गए हैं, जो इस रिपोर्ट की एक अनूठी विशेषता है। यह न केवल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच, बल्कि एक राज्य के जिलों के बीच तुलनात्मक और सापेक्ष प्रदर्शन के विश्लेषण को प्रस्तुत करेगा। यह देश के संघीय ढांचे और हस्तक्षेपों तथा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला प्रशासन की भागीदारी को महत्वपूर्ण मानता है।
- सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा पहली बार नवम्बर 2021 में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में सर्वाधिक 50% से अधिक आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है।

महत्वपूर्ण तथ्य

सूचकांक के अनुसार बिहार में 51.9% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है, इसके बाद झारखण्ड (42.16%), उत्तरप्रदेश (37.79%), मध्यप्रदेश (36.65)% और मेघालय (32.67%) का स्थान है।

दूसरी ओर, केरल में सबसे कम जनसंख्या (0.71%) बहुआयामी रूप से गरीब है, इसके बाद पुडुचेरी (1.72%), लक्षद्वीप (1.82%), गोवा (3.76%) और सिक्किम (3.82%) का स्थान रहा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कि यह आधारभूत रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 2015-16 की संदर्भ अवधि पर आधारित है।

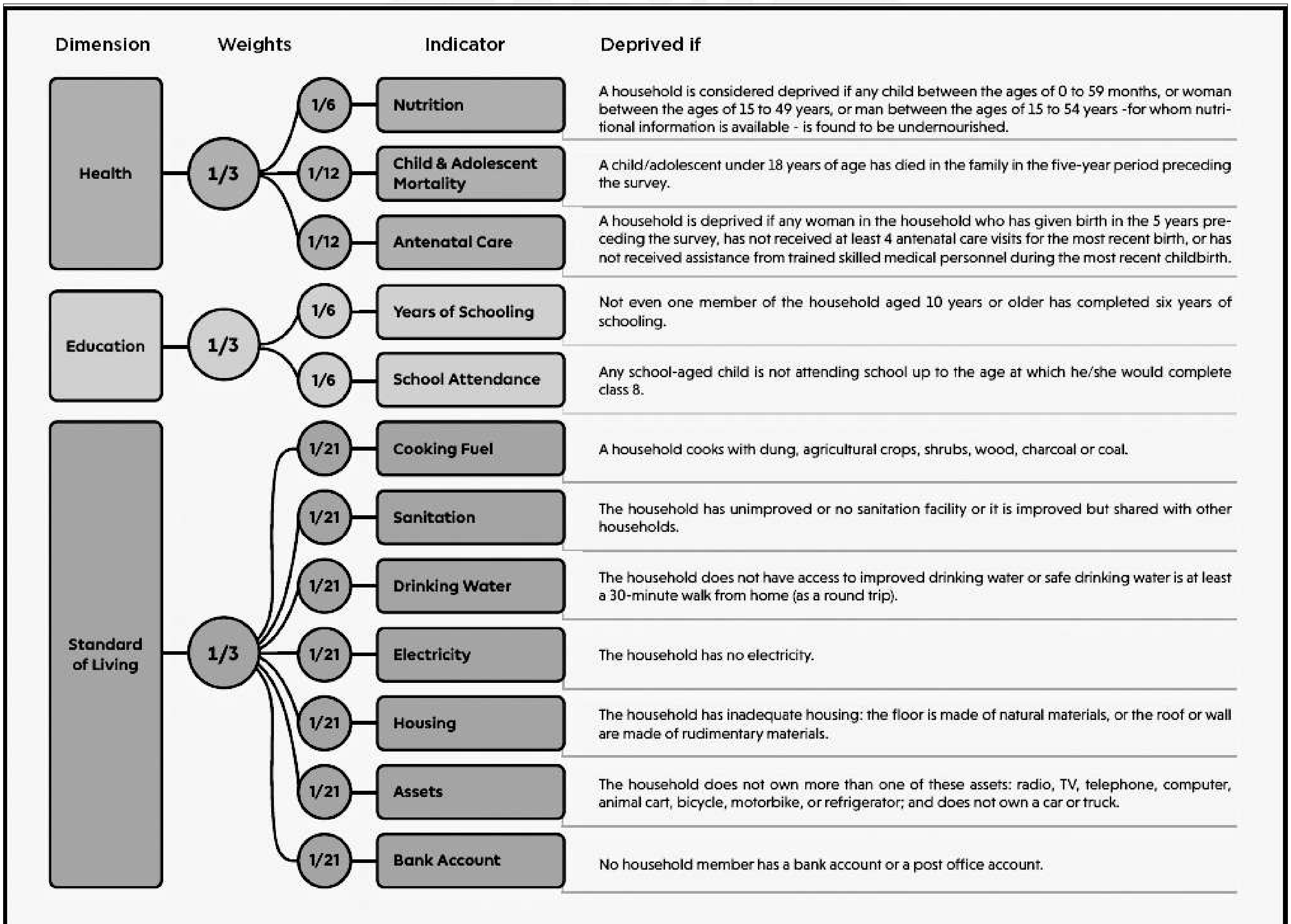

FIGURE 1: INDICATORS IN INDIA'S NATIONAL MPI

दादर और नागर हवेली (27.36%), जम्मू कश्मीर और लद्दाख (12.58%), दमन और दीव (6.82%) और चण्डीगढ़ (5.97%) सबसे गरीब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभरे हैं।

गरीबी का दुष्चक्र (Vicious Circle of Poverty)

- 'गरीबी का दुष्चक्र' का सिद्धांत प्रो. रेगनर नर्क्से (Prof. Ragnor Nurkse) के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार, गरीबी का कारण गरीबी है। कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है।
- अर्थात् किसी देश के गरीबी का कारण उसकी गरीबी है। जैसे- भारत के किसान गरीब हैं क्योंकि वे गरीब हैं। उनके गरीब होने के कारण वे समय पर सिंचाई, बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि की सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जिससे उत्पादन कम होता है और उनकी गरीबी बढ़ती जाती है यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है।
- इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, गरीबी आर्थिक क्रियाओं का ऐसा दुष्चक्र है जो एक दूसरे से इस प्रकार क्रिया करते हैं कि एक गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब बना रहता है।

- यह चक्र तब तक नहीं टूट सकता है जब तक अतिरिक्त निवेश (Investment) न हो। इसलिए भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से निवेश किया जा रहा है।

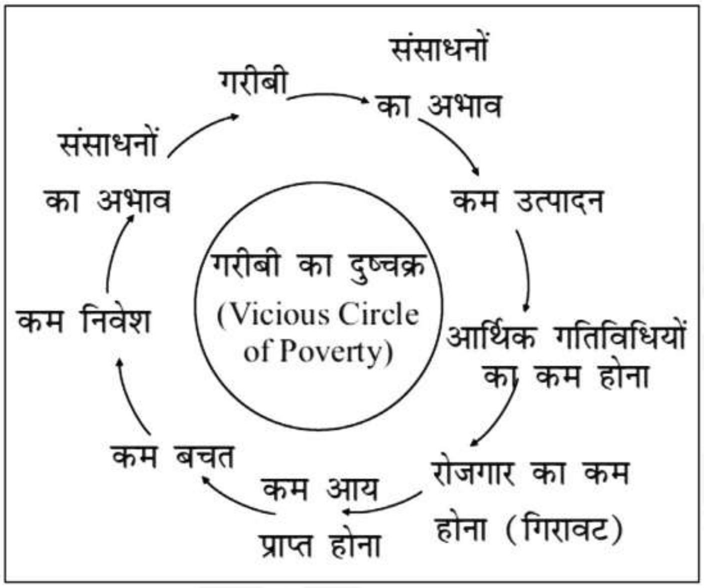

गरीबी के कारण (Causes of Poverty)

भारत में गरीबी की समस्या तथा उसके कारणों की विवेचना को दो भागों में बांटा जा सकता है, **अल्प विकसित अर्थव्यवस्था** तथा **आय का असमान वितरण**।

भारतीय अर्थव्यवस्था की अल्प विकसितता के संदर्भ में गरीबी (Poverty with Reference to Underdevelopment of the Indian Economy)

भारत की अर्थव्यवस्था का अल्पविकसित होना गरीबी का मुख्य कारण है। यह निम्नलिखित आधार पर समझ सकते हैं।

- ***राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर (Low Level of National Product)***– भारत का कुल राष्ट्रीय उत्पादन जनसंख्या की तुलना में काफी कम है। इस कारण प्रति व्यक्ति आय कम रही है।
- ***विकास की कम दर (Low Rate of Growth)***– भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर बहुत कम रही है। योजनाओं की अधिकतर अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर मात्र 4 प्रतिशत रही है।
- ***जनसंख्या का अधिक दबाव (Heavy Pressure of Population)***– भारत में जनसंख्या अत्यन्त द्रुतगति से बढ़ रही है, इस वृद्धि का कारण पिछले कई वर्षों से मृत्यु दर का कम होना, परंतु जन्म दर का लगभग स्थिर रहना है।
- ***स्फीतिक दबाव (Inflationary Pressures)***– उत्पादन की नीची दर तथा जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर के फलस्वरूप भारत जैसी अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं स्फीतिक दबाव के जाल में फंस जाती है। मुद्रास्फीति भारतीय अर्थव्यवस्था का एक स्थाई लक्षण बना हुआ है। इसका तात्पर्य है कीमतों में निरंतर वृद्धि की स्थिति। कीमत वृद्धि से गरीब वर्ग सर्वाधिक प्रभावित होता है। अत: गरीब को और अधिक गरीब होने की प्रवृत्ति बनती चली जाती है।
- ***निरन्तर रहने वाली बेरोजगारी (Chronic Unemployment and Under Employment)***– भारत में चिरकालीन बेरोजगारी व अर्द्ध बेरोजगारी है। यहां शिक्षित बेरोजगारी से भी बड़ी समस्या कृषि में अदृश्य बेरोजगारी (Disguised Unemployment) का होना है। पुन: इस प्रकार की बेरोजगारी गरीबी की दर को ऊंचा रखने में जिम्मेदार है।
- ***पूंजी की अपर्याप्तता (Capital Deficiency)***– पूंजी आर्थिक विकास का एक सहायक तत्त्व है। पूंजी संचय को किसी देश की उत्पादन क्षमता के एक सूचक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। धारणीय विकास के लिए आवश्यक पूंजी का स्टॉक तथा पूंजी का निर्माण दुर्भाग्यवश अभी भी निष्क्रिय अवस्था (Dormant State) में चल रहा है। निम्न पूंजी निर्माण का अर्थ है कम उत्पादन क्षमता जिससे गरीबी बढ़ती है।
- ***योग्य एवं निपुण उद्यमकर्ताओं का अभाव (Paucity of Able and Efficient Entrepreurs)***– किसी भी देश में औद्योगिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में साहस और कल्पना शक्ति (Initiative and Imagination) रखने वाले, जोखिम उठाने की योग्यता रखने वाले तथा अपने कार्य में दक्ष, निपुण एवं चतुर उद्यमकर्ताओं की आवश्यकता होती है पर दुर्भाग्यवश हमारे देश में ऐसे उद्यमकर्ताओं की बहुत कमी है। फलस्वरूप, देश में उत्पादन प्रक्रिया बहुत निम्न स्तर पर रही है। उत्पादन प्रक्रिया के निम्न स्तर का अर्थ रोजगार का निम्न स्तर तथा गरीबी का उच्च स्तर है।
- ***पुरानी सामाजिक संस्थाएं (Outdated Social Institutions)***– हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मूल सामाजिक आधार पुरानी सामाजिक संस्थाएं तथा रूढ़ियां हैं जैसे– जाति-प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा और उत्तराधिकार के नियम आदि है। ये सब हमारी अर्थव्यवस्था के गत्यात्मक परिवर्तनों में बाधा उपस्थित करते हैं। इससे विकास दर में रूकावट पड़ती है तथा इसका परिणाम गरीबी होता है।
- ***आधारिक संरचना का अभाव (Lack of Infrastructure)***– आर्थिक आधारिक संरचना के प्रमुख घटक जैसे ऊर्जा, यातायात, संचार तथा सामाजिक आधारिक संरचना के प्रमुख घटक जैसे शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही बुरी अवस्था में है। संवृद्धि तथा विकास के कार्यक्रम में ये सभी एक आधारशिला का कार्य करते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश 55 वर्षों की योजना अवधि के बावजूद भी यह आधारशिला अभी भी अपनी शिशु अवस्था में है। गरीबी का निरंतर बने रहना विकास प्रवृत्तियों की धीमी बढ़ोत्तरी के स्पष्ट परिणाम है।

आय के असमान वितरण के संदर्भ में गरीबी (Poverty in Reference Unequal Distribution of Income)

भारत में गरीबी का दूसरा प्रमुख कारण आय का असमान वितरण है।

- योजनाओं में प्रगतिशील कर प्रणाली तथा दूसरे उपायों द्वारा आय के असमान वितरण को दूर करने का प्रयत्न किया गया है परन्तु इन उपायों के बावजूद आय तथा धन की असमानता बढ़ती जा रही है।
- National Council for Applied Economic Research-NCAER द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार देश के शीर्ष 20% धनी लोगों के पास देश की कुल आय का 53.2% भाग है। जबकि नीचे के 40% लोगों के पास कुल आय का मात्र 15.9% भाग है।
- एकाधिकार जांच आयोग (Monpolies Inquiry Commission) के अनुसार, देश की 1536 कंपनियां केवल 75 परिवारों के नियंत्रण में हैं। आय का असमान वितरण न केवल वर्तमान निर्धनता प्रकट करता है बल्कि, यह धनी लोगों तथा निर्धन वर्ग के मध्य अत्यधिक अंतर को भी दर्शाता है।

गरीबी दूर करने के उपाय (Remedies to Poverty Reduction)

भारत में व्याप्त निर्धनता को दूर करने के सभी उपायों को चार श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, जो निम्नवत हैं–

सकल घरेलू उत्पाद में संवृद्धि के द्वारा निर्धनता का सामना करना (Combating Poverty Through GDP Growth)

- सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र संवृद्धि प्राप्त करके निर्धनता के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। जब जीडीपी की वृद्धि दर ऊंची होती है तब रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध होता है। जिससे निर्धन वर्ग की आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार वे धीरे-धीरे निर्धनता की स्थिति से बाहर निकल आते हैं।
- ***रोजगार-रहित विकास से बचना (Avoid Jobless Growth)*** - जब जीडीपी में वृद्धि उत्तम प्रौद्योगिकी के कारण होती है और रोजगार का सृजन नहीं होता है, तो इसे रोजगार-रहित वृद्धि कहा जाता है। निर्धनता केवल तब ही कम होगी जब विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादन प्रक्रिया पूंजी प्रधान तकनीक के स्थान पर श्रम प्रधान हो।

आय के वितरण में राजकोषीय तथा कानूनी उपायों के माध्यम से निर्धनता का सामना करना (Combating Poverty by Improving the Distribution of Income Through Fiscal and Legislative Measures)

- राजकोषीय उपाय (Fiscal Measures) कराधान और आर्थिक सहायता से संबंधित हैं। निर्धनता कम करने के लिए सरकार प्रगतिशील कर प्रणाली को अपना सकती है। इसका अर्थ है, धनी वर्ग की आय एवं संपत्ति पर कर की अपेक्षाकृत ऊंची दर रखना। आर्थिक सहायता का अर्थ है कि, सरकार को कर प्राप्तियों का प्रयोग समाज के निर्धन वर्ग द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं हेतु सब्सिडी के रूप में किया जा सकता है।
- कानूनी उपायों (Legislative Measures) के अंतर्गत, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act) शामिल है, जिसमें अनुबंधित न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने का प्रावधान है जो नियोक्ताओं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। कानूनी उपायों के अंतर्गत कृषि उत्पादों की खरीद के लिए आधार कीमत (Floor Price) जैसी नीतियां भी शामिल हैं। आधार कीमत से अभिप्राय उस अनुबंधित न्यूनतम कीमत से है, जिस पर किसानों के उत्पाद क्रय किए जाते हैं। शिक्षा का अधिकार (Right to Education) जैसे प्रावधान कानूनी उपायों के अन्य उदाहरण हैं जो समाज के निर्धन वर्ग के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक है।

जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी

गरीबी को दूर करने के लिए जनसंख्या की वृद्धि दर पर रोक लगाना आवश्यक है। भारत का अनुभव यह दर्शाता है कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि काफी मात्रा में निष्प्रभावी रही है। इसके फलस्वरूप प्रतिव्यक्ति आय (राष्ट्रीय आय/जनसंख्या) निम्न ही बनी हुई है। गरीबी का बंधन तभी तोड़ा जा सकता है जब जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाई जाए ताकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि का प्रतिबिंब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के रूप में दिखलाई दे। प्रति व्यक्ति आय में जैसे कि महत्त्वपूर्ण वृद्धि दिखलाई देती है, इसका अधिक बचत तथा निवेश के माध्यम से आय में वृद्धि पर गुणक प्रभाव पड़ेगा। अधिक आय (प्रतिव्यक्ति) का अर्थ होगा अधिक बचत, अधिक निवेश, अधिक उत्पादन, अधिक रोजगार और अन्तत: कम निर्धनता।

निर्धनों के जीवन में गुणवत्ता को बढ़ाने वाले अन्य उपाय

- ***कृषि का विकास (Development of Agriculture)*** - मिन्हास का यह विचार है कि गरीबी को दूर करने के लिए कृषि का विकास करने का विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए। कृषि का यंत्रीकरण तथा आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। उन्नत बीज, सिंचाई के साधनों तथा रासायनिक और कम्पोस्ट खाद का विशेष प्रयोग किया जाना चाहिए, छोटे किसानों को उचित प्रकार की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। भूमिहीन किसानों को अधिक भूमि दी जानी चाहिए। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप जनसाधारण स्तर पर गरीबी को कम या दूर किया जा सकता है।
- ***कीमत स्तर में स्थिरता (Stability in the Price Level)*** - गरीबी उन्मूलन के लिए कीमत स्थिरता एक आवश्यक शर्त है। यदि कीमतों में निरंतर वृद्धि होती रहेगी तो गरीब लोगों का जीवन स्तर और भी नीचा होता जाएगा। कीमतों में स्थिरता तभी लाई जा सकती है जब (i) खाद्य तथा अन्य आम वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जाएगा और (ii) सामान्य उपभोग वाली वस्तुओं का गरीब वर्ग में वितरण 'उचित मूल्य दुकानों' द्वारा किया जाएगा।

बेरोजगारी का उन्मूलन (Eradication of Unemployment) - यदि गरीबी को दूर करना है तो बेरोजगारी, अर्द्ध-बेरोजगारी तथा छिपी बेरोजगारी को दूर करने के विशेष उपाय अपनाने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के अधिक अवसर है, उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से कुटीर उद्योग, निर्माण आदि क्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षित बेरोजगारी को कम करने के लिए शिक्षा प्रणाली को व्यावसायिक बनाना समय की मांग है।

- ***उत्पादन तकनीक में परिवर्तन (Change in Technique of Production)*** - प्रो. गुन्नार मिर्डल के अनुसार, भारत में उत्पादन की श्रम प्रधान तकनीक (Labour Intensive Technique) अपनाई जानी चाहिए। इस तकनीक को अपनाने से रोजगार की मात्रा बढ़ेगी तथा गरीबी दूर हो सकेगी।
- ***न्यूनतम आवश्यकताओं की संतुष्टि (Satisfaction of minimum Needs)*** - सरकार को गरीबों की न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक शिक्षा आदि को संतुष्ट करने के प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक से अधिक व्यय करना चाहिए। इसी क्रम में एक प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक महत्वपूर्ण पहल है।
- ***पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान (Special Focus on Backward Regions)*** - भारत में कुछ क्षेत्र जैसे उड़ीसा, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में गरीबों का अनुपात दूसरे प्रदेशों से अधिक है। सरकार को पिछड़े इलाकों में विशेष सुविधाएं देनी चाहिए, जिससे निजी पूंजी उन प्रदेशों में निवेश की जा सकें।
- ***स्वयं रोजगार के लिए अवसर (Opportunities for Self Employment)*** - स्वयं रोजगार की अवस्था प्राप्त करने के लिए अवसरों की अधिक खोज की जानी चाहिए। औद्योगिक तथा उद्यमीय शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (Industrial Traning Institutes) खोले जाने चाहिए। स्वयं रोजगार के साधनों के रूप में लघु उद्यम स्थापित करने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण (बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा) उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम (Steps Taken by Government)

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (Swarn Jayanti Gram Swarozgar Yojana SGSY)

'स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना' गांवों में रहने वाले गरीबों के लिए स्व-रोजगार (Self Employment) का एक अकेला कार्यक्रम है। यह योजना 1 अप्रैल, 1999 को शुरू की गई। इस योजना में स्व-रोजगार के लिए पहले से लागू

की जाने वाली सभी योजनाओं को शामिल कर लिया गया है। जैसे-(i) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme-IRDP)] (ii) स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training for Rural Youth for Self Employment- TRYSEM) आदि।

इस योजना की विशेषताएं निम्नलिखित है-

इस योजना के अंतर्गत गांवों में भारी संख्या में छोटे-छोटे उद्यमों की स्थापना की गयी। इन छोटे उद्यमों को व्यक्तिगत रूप में तथा सामूहिक रूप में आत्म निर्भर समूहों (Self Help Groups- SHF) के आधार पर संगठित किया जाता था। वर्ष 2011-12 में SGSY के 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' में पुनर्नियोजित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
(National Rural Rozgar Yojana- SGRY)

यह कार्यक्रम 2012-13 से औपचारिक रूप से देश में लागू किया गया। प्रारंभ में इस योजना को 2012-13 में 150 जिलों में लागू किया, 2016-17 तक इस योजना से 90 लाख लोगों को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य था। नवंबर, 2015 में, कार्यक्रम का नाम बदलकर 'दीनदयाल अंत्योदय योजना' कर दिया गया।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (Pradhanmantri Gramoday Yojana-PGY)
यह योजना 2000-2001 में आरंभ की गई थी इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए पांच महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों, (i) स्वास्थ्य, (ii) प्राथमिक शिक्षा, (iii) पेयजल, (iv) आवास तथा (v) सड़कों का विकास करना है। बाद में विद्युतीकरण का एक अतिरिक्त घटक इनमें जोड़ा गया।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
(The Swarn Jayanti Shahri Rozgar Yojana)

इस योजना का आरंभ 1 दिसंबर, 1997 से हुआ है। इस योजना में शहरी बेरोजगारी (Urban Unemployed) को रोजगार प्रदान करने से संबंधित योजनाओं जैसे (i) नेहरू रोजगार योजना (Nehru Rozgar Yojana) तथा (ii) प्रधानमंत्री समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम (Prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication Programme- PMIUPEP) आदि को मिला दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य शहरी बेरोजगारी तथा अल्परोजगार वाले लोगों को स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। इसके अंतर्गत दो योजनाएं शामिल हैं।

- शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (Urban Self Employment Programme-USEP)।
- शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम (Urban Wage Employment Programme- UWEP)।

इस योजना का 75% खर्च केंद्रीय सरकार तथा 25% खर्च राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का प्रावधान था।

अंत्योदय अन्न योजना (AAY)

'अंत्योदय अन्न योजना' (AAY) भारत में 2000 से लागू सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजनाओं में से एक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना व भूख मुक्त भारत बनाना है।

इस योजना में देश के 1 करोड़ सबसे गरीब परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत जारी किये जाने वाले गेहूँ व चावल का केंद्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः रू. 2/कि.ग्रा. तथा रू. 3/कि.ग्रा. है। यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution) के तहत प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत लगभग 5 करोड़ लोग (1 करोड़ परिवार) लाभान्वित होते है।

अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Yojana)

वर्ष 2000 में गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले वृद्धजनों की सहायता के लिए शुरू की गई। इस योजना का लक्ष्य, उन वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जो किसी कारण से 'राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना' के अंतर्गत कवर किए जाने से छूट गये हों। 'अन्नपूर्णा योजना' को कालांतर में नए संशोधित 'राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना' (National Old Age Pension Scheme – NOAPS) में विलय कर दिया गया।

15 अगस्त, 1995 से शुरू किए गए 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (National Social Assistance Programme – NSAP) के एक घटक (Component) के रूप में कार्यान्वित राष्ट्रीय 'वृद्धावस्था पेंशन योजना' के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध बेसहारा लोगों को मासिक पेंशन उपलब्ध कराई जाती है।

भारत निर्माण योजना (Bharat Nirman Yojana)

केन्द्र सरकार द्वारा देश भर के गाँवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए भारत निर्माण योजना की शुरूआत नई दिल्ली में 16 दिसम्बर, 2005 को की गई। कुल 1,74,000 रुपये करोड़ वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना (Ambitious Project) के अंतर्गत देश की ग्रामीण अवसंरचना के निर्धारित छह प्रमुख क्षेत्रों में तय किए गए लक्ष्यों को चार वर्षों में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ये छह प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

- ***सिंचाई (Irrigation):*** लक्ष्य वर्ष तक निर्धारित अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की व्यवस्था करना। (1 करोड़ हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त सिंचाई)।
- ***आवास (Shelter):*** लक्ष्य वर्ष तक 'इंदिरा आवास योजना' के अंतर्गत गरीबों के लिए आवासों का निर्माण करना।
- ***सड़क (Roads):*** लक्ष्य वर्ष तक 500 की आबादी वाले सभी जनजातियों और पहाड़ी गाँवों तथा 1000 तक की आबादी वाले सभी गाँवों को 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' (PMGSY) के अंतर्गत एक-दूसरे से जोड़ना।
- ***जलापूर्ति (Water Supply):*** लक्ष्य वर्ष तक सभी गाँवों को पीने का पानी उपलब्ध कराना। साथ ही घटिया पेयजल वाले क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता सुधारना।
- ***दूरसंचार (Tele Communication):*** लक्ष्य वर्ष तक गाँवों में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- ***विद्युतीकरण (Electrification):*** लक्ष्य वर्ष तक बचे हुए सभी गाँवों में बिजली पहुँचाना तथा राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) के तहत शेष घरों को बिजली कनेक्शन की सुविधा प्रदान करना। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए विशाल बजटीय राशि देने का निर्णय लिया गया। विश्व बैंक (World Bank) ने भी भारत के ग्रामीण अवसंरचना (Infrastructure) के विकास के लिए तीन वर्षों में एक-एक अरब डॉलर प्रति वर्ष के हिसाब से 3 अरब डॉलर की सहायता की पेशकश की।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
(National Rural Health Mission – NRHM)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नामक कार्यक्रम की शुरूआत 12 अप्रैल, 2005

को ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Areas) में निर्धनतम परिवारों (Poorest Families) को विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ (Quality Health Services) उपलब्ध कराने हेतु की गई थी।

इस कार्यक्रम को पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है और 18 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 (National Population Policy, 2000) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (National Health Policy) दोनों के ही लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

मिशन के संभावित निष्कर्षों में शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Ratio–IMR) में 30 प्रति 1000 जीवित जन्म (Live Birth) से नीचे तक कटौती, मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Ratio–MMR) के 100 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म से नीचे आने तथा कुल प्रजनन दर (Total Fertility Ratio–TFR) को 2.1 प्रति महिला पर लाना सम्मिलित था।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की क्रियाविधि (Process to Conduct National Rural Health Mission): हर गाँव में कुछ महिलाओं को स्वास्थ्य परिचारिका का प्रशिक्षण (Training) दिया जाता है और फिर इन परिचारिकाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र (Government Health Centre) द्वारा औपचारिक (Formal) मान्यता प्रदान की जाती है, जिसके बाद उन्हें सरकार से प्रतिमाह भत्ता मिलने लगता है, ताकि वे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में उचित परामर्श (Consultancy) दे सकें। इन स्वास्थ्य परिचारिकाओं को मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता– आशा (Accredited Social Health Activist–ASHA) के नाम से जाना जाता है। इन्हें एक अन्य नाम भी दिया गया है – 'सखी' या 'स्वास्थ्य सखी'। लगभग प्रति 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक 'आशा' कार्य करती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं का पुनरुत्थान किया गया है जो कि त्रिस्तरीय होती है:

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया में इन दिनों काफी तेजी आई है तथा निजी स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं की प्रतिस्पर्धा पैदा की गई है। इससे स्वास्थ्य अधिकारिता में सुधार आया है और स्वास्थ्य अधिकारिता में सुधार से मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।

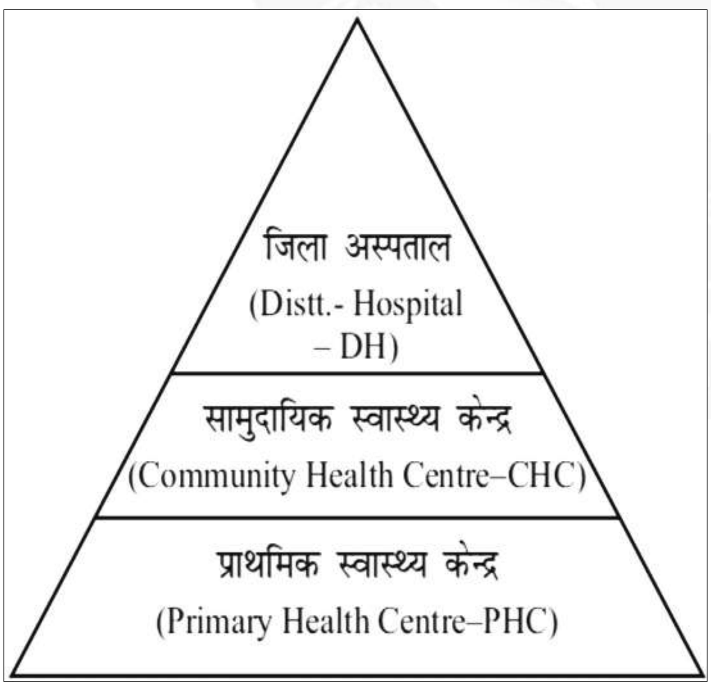

राष्ट्रीय पोषण मिशन (National Nutrition Mission – NNM)

पोषण अभियान

1 दिसम्बर, 2017 को सरकार ने नेशनल न्यूट्रिशन मिशन शुरू करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया तथा जिसे 2018 से शुरू किया गया। यह योजना महिला तथा बाल विकास, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, जल संसाधन तथा नीति आयोग के संयुक्त सहयोग से शुरू हुई। यह स्वास्थ्य क्षेत्र की यह एक अत्यन्त ही महत्त्वाकांक्षी योजना है। यह स्वास्थ्य मंत्रालय का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो विभिन्न कार्यक्रमों के अभिसरण पर आधारित है यथा आंगनवाड़ी सेवा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा इत्यादि। इसके प्रमुख बिन्दु निम्नांकित हैं–

- मिशन के अंतर्गत एक शीर्षस्थ संस्था (Apex body) का निर्माण किया जाना है, जो सभी मंत्रालयों के बीच पोषण सम्बन्धी हस्तक्षेपों के सम्बन्ध में मानीटरिंग, पर्यवेक्षण, सुपरविजन, लक्ष्य निर्धारण आदि कार्य करेगी।
- यह स्कीम निम्नांकित से संबंधित होगी।
  - कुपोषण से संबंधित सभी स्कीमों को एक साथ जोड़ना। इन्हें मिलाने के संबंध में व्यापक तथा प्रभावी प्रणाली विकसित करना।
  - लक्ष्यों की प्राप्ति के सम्बन्ध में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना।
  - आँगनवाड़ी कार्मिकों को आइटी आधारित तरीकों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना।
  - आँगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की ऊँचाई की माप की व्यवस्था करना।
  - मिशन के अंतर्गत होने वाले कार्य की प्रगति की जांच के लिए सामाजिक आडिट (Social Audit) की व्यवस्था करना, न्यूट्रिशन रिसोर्स सेन्टर खोलना तथा जन आंदोलन के द्वारा लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- मिशन के अंतर्गत बच्चों में नाटेपन (Stunning) को 38.4 प्रतिशत से घटाकर 2022 तक 25 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है। मिशन में जन्म के समय अल्पवजन को 2 प्रतिशत तथा छोटे बच्चों, औरतों तथा किशोर लड़कियों में खून की कमी एनीमिया (Aneamia) में 3 प्रतिशत वार्षिक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- मिशन के अंतर्गत क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग अधिक उत्तम ढंग से करने के लिए इससे लाभार्थियों को आधार के साथ जोड़ा जायेगा। इस मिशन के तहत, पहले चरण में कवर होने वाले 42 लाख बच्चों में से 50 प्रतिशत पहले से भी इसके साथ जुड़े हैं।
- मिशन पोषण 2.0 देश के स्वास्थ्य एवं खुशहाली हेतु पोषण को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में रेखांकित किया गया है। पोषण को मजबूत करने हेतु केंद्रीय बजट 2021–22 में 'संपूरक पोषण कार्यक्रम तथा पोषण अभियान' का विलय करते हुए 'पोषण मिशन 2.0' प्रारंभ करने की घोषणा की गयी।
- ***प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना :*** ये श्रम बाजार, विशेष रूप से श्रम बाजार और कक्षा X और XII छोड़ने वालों के लिए प्रशिक्षण देकर स्किल का विकास करना है जिससे इन्हें भविष्य में रोजगार के अवसर मिल सके।
- ***प्रधानमंत्री जन-धन योजना***– इसका उद्देश्य सब्सिडी, पेंशन, बीमा आदि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करना था और 1.5 करोड़ बैंक खाते खोलने का लक्ष्य प्राप्त किया। यह योजना विशेष रूप से असंवद्ध गरीबों को लक्षित करती है।
- ***महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005***– यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर साल 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है। कार्यक्रम के तहत, यदि किसी आवेदक

को 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो वो दैनिक बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार है।

कोरोना काल में मनरेगा के तहत, सबसे ज्यादा रोजगार लोगों को मिला। भारत सरकार मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की प्रतिदिन मजदूरी बढ़ाकर 202 रुपये कर दी। बजट वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है।

- ***प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना:*** इस योजना का उद्देश्य सभी कमजोर भूमि धारी किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है, उन्हें 6000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। (2000 रुपये की तीन किस्त में) यह योजना पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके लिए बजट वर्ष 2022-23 में 68,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

कुपोषण मुक्त भारत-नेशनल न्यूट्रीशन स्ट्रैटेजी

बच्चों, औरतों तथा किशोरियों में कुपोषण की गम्भीरता को दृष्टि में रखते हुए नीति आयोग ने 'नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी' का प्रारूप तैयार किया। नीति आयोग के चेयरमैन राजीव कुमार ने 5 सितम्बर, 2017 को लागू किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य कुपोषण मुक्त भारत की संकल्पना 2022 को साकार करना है तथा पोषण को 'डेवलेपमेंट एजेन्डा' के केंद्र बिन्दु में स्थापित करना है। कुपोषण मुक्त भारत को स्वच्छ भारत तथा स्वस्थ भारत की संकल्पना के साथ जोड़ दिया गया है। कुपोषण मुक्त भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल न्यूट्रीशन मिशन आदि सभी परस्पर संबद्ध धारणाएं हैं।

स्ट्रैटेजी में पोषण के कुछ क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है- जिनमें स्वास्थ्य सेवाएं, खाना, पेयजल, सफाई, आय एवं जीवन निर्वाह आदि शामिल हैं। इन्हें परस्पर संबंधित करने तथा एक साथ अभिसरण (कनवरजेन्स) करने की कोशिश की गयी है।

यह स्ट्रैटेजी प्रभावी क्रियान्वयन के लिये रोडमैप (खाका) तैयार करती है, जिससे पोषण के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। यह स्थानीय प्रवर्तन तथा विकेंद्रीकृत योजना के द्वारा राज्यों को स्ट्रैटेजिक चुनावों (Choices) के लिए मौका देती है।

'नेशनल न्यूट्रीशन स्ट्रैटेजी' के अंतर्गत निगरानी योग्य लक्ष्य इस प्रकार हैं-

	निगरानी योग्य परिणाम	*वर्तमान स्थिति*	*लक्ष्य 2022 तक*
1.	5 वर्ष से कम उम्र अल्प वजन (2SD से नीचे) के प्रतिशत में कमी लाना	35.7	30.7
2.	6-59 महीनों के बच्चों में प्राय: पायी जाने वाली एनीमिया में कमी लाना	58.4	19.5
3.	औरतों तथा लड़कियों (15- 49 वर्ष) में पायी जाने वाली एनीमिया में कमी लाना	53.1	17.1

स्पष्ट है कि 'नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी' राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों, जिससे समावेशी विकास के लक्ष्य तथा गरीबी व उसके प्रभाव को कम करने के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। इसी के द्वारा हम दीर्घकाल में मातृत्व मृत्युदर तथा शिशु मृत्युदर में कमी लाने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम- एक आलोचनात्मक मूल्यांकन
(Poverty Alleviation Programmes- A Critically Evaluation)

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु किए गए अध्ययन से ज्ञात होता है कि गरीबी उन्मूलन की दिशा में कुछ प्रगति हुई है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार है।

- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत में कमी हुई है। सन् 1973-74 में यह 55% थी जो 2011-12 में 21.9 प्रतिशत रह गई है।
- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कारण निर्धन लोगों की मजदूरी अर्थात आय में वृद्धि हुई है। इससे उनके पोषण स्तर (Nutritional Level) में वृद्धि को सहायता प्राप्त हुई है। किन्तु इन कार्यक्रमों से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। इनकी विफलता के कारण निम्नलिखित हैं-
  - जटिल कार्यविधि के कारण प्रशासन तथा कार्यान्वित करने वाले कर्मचारीगण प्रभावपूर्ण ढंग से अपना कार्य संपन्न नहीं कर सके। उनकी प्रगति के पर्यवेक्षण का भी कोई प्रबंध नहीं था।
  - कार्यक्रम को चलाने वाले अधिकारी भी निर्धन व्यक्तियों की अपेक्षा धनी, शिक्षित तथा साधन संपन्न व्यक्तियों का ही समर्थन करते थे।
  - दूरस्थ क्षेत्रों तथा निर्धन गृहस्थों जो गांवों के भीतरी भागों में रहते थे उनकी अवहेलना की गई क्योंकि उन तक पहुंचना कठिन था।
  - साख, विपणन, आदि सुविधाएं प्रदान करने वाली जिन संस्थाओं की आवश्यकता थी, उनसे विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हो सका।
  - कई लोगों के लिए 'निर्धन' की परिभाषा स्पष्ट नहीं थी। फलस्वरूप कई 'गैर निर्धन' व्यक्तियों ने कार्यक्रमों का लाभ उठाया।
  - गांवों के स्थानीय शक्तिशाली समूहों ने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों से मिल कर वितरण प्रणाली को अपने पक्ष में कर लिया। फलस्वरूप, वास्तव में जो निर्धन हैं वह समूह कार्यक्रम के लाभों से वंचित रहा।
  - गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रम थे, आम जनता का इसे समर्थन प्राप्त नहीं था।

भारत में गरीबी दूर करने की रणनीति

स्वतंत्रता प्राप्ति के छह दशकों के बाद भी देश में इतने गरीब क्यों है? इसके प्रमुख कारण हैं- कृषि क्षेत्र पर अत्येधिक निर्भरता, जीवन निर्वाह के परंपरागत तरीकों में ठहराव, जनसंख्या को रोजगार का अवसर न मिलना, प्रौढ़ अशिक्षा की ऊंची दर, भूमिहीनों की ज्यादा संख्या और सीमांत किसानों के लिए किसी भी प्रकार की आय का सहारा न होना। साथ ही अत्यधिक निर्धनता का एक और प्रमुख कारण है, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का अभाव। यहां यह महत्त्वपूर्ण नहीं है कि निर्धनता को अशोधित तरीके से या परिष्कृत रूप से कैसे परिभाषित किया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का यह सबसे बड़ा अभिशाप है कि अच्छी नियत से बनायी गयी योजनाओं के बाद भी बड़े पैमाने पर गरीबी उन्मूलन नहीं हो सका है।

रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करना, इस संदर्भ में निम्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों पर जोर दिया जा सकता है-

- विनिर्माण (Manufacturing)
- निर्माण (Construction)
- Labour- Intensive service

इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए निम्न बातों पर ध्यान दिया जा सकता है: विश्वस्तरीय आधारिक संरचना सुनिश्चित करना।

- श्रम बाजार संबंधी सुधार करना।
- स्वथ्य प्रतियोगिता को बाजार में बढ़ावा देना।
- व्यवसाय करने के वातावरण को आसान बनाना।
- लोगों को व्यवसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण देना।

कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, इसके लिये निम्न बातों पर ध्यान दिया जा सकता है-

- कृषि से जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास करना, विशेष रूप से सिंचाई संबंधी सुविधाओं का।
- कीमत समर्थनों का विवेकीकरण करना,
- नई तकनीकों को लागू करना,
- किसानों तक तकनीकों को पहुँचाना,
- भूमि सुधारों को लागू करना।

मूलभूत सेवाओं पर सरकारी खर्च को बढ़ाना भी गरीबी निवारण की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। यह कहा जाता है कि भारत की मूलभूत सेवायें 50% तक ही प्रभावी है। इस संदर्भ में निम्न बातों पर ध्यान दिया जा सकता है-

- सामुदायिक भागीदारी,
- निजी व सामाजिक क्षेत्र की भागीदारी,
- तकनीकी का प्रयोग।

टपकन थ्योरी और गरीबी (Trickle Down Theory & Poverty)

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत के सामने 'गरीबी' सबसे बड़ी समस्या थी, जिसे दूर करने के लिए जवाहर लाल नेहरू जी के नेतृत्व में 'पंचवर्षीय योजना' का निर्माण किया गया और गरीबी निवारण का उपाय ढूँढ़ा गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिए औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया गया।

इस समय औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ब्याज की दरों को कम किया गया। औद्योगिक क्षेत्र के करों में छूट दी गयी ताकि पूंजी की मात्रा को बढ़ाया जा सके। यह माना जाता है कि इससे Growth का स्तर बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी और वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर लेगें। औद्योगिक सब्सिडी एवं निवेश को भी प्रोत्साहित किया गया। साथ ही औद्योगिक विकास को मजबूत करने हेतु आवश्यक कुशल मानवीय संसाधन के निर्माण हेतु IIT, IIM जैसे तकनीकी संस्थान की भी स्थापना की गई।

इसके पीछे मान्यता या उद्देश्य यह था कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास से एवं तकनीकी संस्थानों के विकास से विकास का एक क्रम पूरे देश में चलेगा और वह विकास छन-छन कर नीचे की तरफ अर्थात् गरीबों तक पहुँचेगा। जिसे ऊपर से नीचे विकास का क्रम (Top to Bottom) कहा गया। इस सिद्धांत में श्रम सुधार, राजकोषीय सुधार आदि बातों पर तो ध्यान दिया गया, परन्तु कृषि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ (Backbone) थी उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया जबकि इसी पर भारतीय ग्रामीण समाज का एक बड़ा वर्ग निर्भर था।

भारत समेत दुनिया के लगभग सभी राष्ट्रों में टपकन थ्योरी (Trickle Down Theory) की रणनीति लगभग विफल हो गयी। नि:संदेह यह सिद्धांत विफल माना जा सकता है क्योंकि इसमें भारतीय कृषि, कुटीर एवं लघु उद्योग की उपेक्षा की गई, जिससे समाज का औद्योगिक वर्ग तो अमीर होता गया परन्तु एक वर्ग गरीबी की दलदल में फंसता गया जो वर्तमान में इंडिया एवं भारत के रूप में देश की दो अलग-अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है।

भारत में टपकन थ्योरी (Trickle Down Theory) की रणनीति के विफल होने के पीछे निम्न कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है-

- आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत के कृषि क्षेत्र पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया जबकि भारत की कार्यशील जनसंख्या का लगभग 49% भाग अपने रोजगार के लिये कृषि पर निर्भर है।
- विश्व बैंक के अर्थशास्त्री गौरवदत्त के अनुसार 'आर्थिक उदारीकरण के साथ भारत में ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर ध्यान नहीं दिया गया।'
- भारत में MSMEs के विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया जब कि ये बड़े उपक्रमों की तुलना में 7 गुना अधिक (Labour Intensive) श्रम गहन होते हैं अर्थात् ये बड़े उपक्रमों की तुलना में 7 गुना अधिक रोजगार दे सकते है।
- आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत में न केवल ब्याज दरें कम हुई बल्कि FDI के उदारीकरण तथा घरेलू वित्त बाजार में सुधारों के कारण पूँजी की उपलब्ध मात्रा में बढ़ोत्तरी हुयी। इसके कारण उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम के स्थान पर पूँजी के प्रतिस्थापन को अधिक बढ़ावा मिला।
- प्रो. विजयशंकर व्यास के अनुसार, भारत में टपकन थ्योरी के विफल होने का एक कारण यह भी रहा है कि निर्धन लोगों को आय अर्जन करने वाली संपत्तियों का वितरण नहीं किया गया। इस संदर्भ में विजयशंकर व्यास द्वारा कुशलताओं को भी सम्पत्ति माना गया।

इस प्रकार भारत में उपर्युक्त कारणों के चलते टपकन की रणनीति लगभग विफल हो गयी है। अत: जरूरी है कि भारत में नीचे वाले गरीब लोगों को उठाने की रणनीति को लागू किया जाए। इसके अलावा विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं (Basic Needs Approach to Development) को तो लागू किया ही जाना चाहिए।

गरीबी निवारण के अन्य रणनीतिक उपाय

भारतीय अर्थव्यवस्था में 'जाम' (जनधन, आधार, मोबाइल) का प्रसार (Spreading JAM Across India's Economy)

वृहद स्तर पर, टेक्नोलॉजी की सहायता में लाभांश का सीधा हस्तांतरण (DBT) होने की स्थिति में देश के गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार अपेक्षित है। और इस प्रक्रिया में 'जाम' त्रिमूर्ति (जन-धन, आधार और मोबाइल) सरकार के प्रयास को सफल कर सकेंगे। गत वर्षों में 'जाम' की पैठ, आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है और लगभग 4 मिलियन एकाउंट, प्रति सप्ताह की दर से खोले गये हैं और कई मोबाइल-मनी-ऑपरेटर्स को लाइसेंस दिये गये हैं। सीधे नकदी हस्तांतरण से देश के गरीबों के आर्थिक जीवन में सुधार आ सकता है, आर्थिक क्षमता में वृद्धि हो सकती है, भ्रष्टाचार रूक सकता है और बाजार की उथल-पुथल पर काबू पाया जा सकता है। वृहद पैमाने पर लाभांश का सीधा हस्तांतरण, वास्तविक समय में, भारत सरकार का प्रमुख लक्ष्य है और गत वर्षों में इसमें उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है।

'जाम' त्रिमूर्ति- जन-धन, आधार और मोबाइल के द्वारा सरकार को सीधे लाभांश हस्तांतरण योजना पर अमल करने में प्रभावी सहायता मिली है।

उदाहरणस्वरूप यदि सरकार, कल 1000/- रु. प्रत्येक भारतीय के खाते में हस्तांतरित करना चाहे तो निम्न आवश्यकता होगी-

- सरकार द्वारा लाभार्थियों को चिह्नित करना।
- सरकार उनके खाते में धन का हस्तांतरण सीधे तौर पर कर सके।
- लाभार्थी को यह धनराशि आसानी से उपलब्ध हो।

पहले ही चरण की असफलता के कारण आगे की गलतियां जैसे धन का गलत जगह पहुंचना और धनी तथा अदृश्य घरों को उसका लाभ मिल जाता है। इससे सरकार को राजस्व हानि होती है। आगे के दो चरणों की असफलता से पात्र लाभार्थी, सरकारी लाभ से वंचित रह जाते हैं। सरकार को इन वंचित लाभार्थियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि इससे अत्यधिक निर्धन सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।

"जाम" के संघटक (Ingredients of JAM): 'जाम' के आवश्यक संघटक इस प्रकार हैं-

- ***सरकार→ लाभार्थी: सही पहचान की चुनौती***- इस कार्य के लिए सरकार के पास आवश्यक डाटा-बेस होना आवश्यक है। लाभार्थियों का डाटा-बेस, 'आधार' व्यवस्था के पहले से मौजूद है परंतु उसकी सत्यता और वैधता पर प्रशासनिक तथा राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण संदेहास्पद है। इसको तैयार करने में राजनैतिक एवं प्रशासनिक ढिलाई से पहचान-पत्र जैसे

बी.पी. एल कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर में गड़बड़ियां और तत्पश्चात् लाभांश में हेरा-फेरी की संभावना बनी रहती है। 'आधार' की गुणवत्ता, मानवीय विचारशीलता के स्थान पर टेक्नोलॉजी आधारित है, परंतु इसे सरल बनाते हुए नागरिकों को अंगुलियों के निशान और पुतलियों की पहचान का तरीका अपनाया गया है। वर्ष 2015 में 210 मिलियन आधार-कार्ड, यानी 4 मिलियन कार्ड प्रति सप्ताह के दर से पंजीकृत किये गये है।

- ***सरकार → बैंक: लाभार्थियों को भुगतान की चुनौती***- लाभार्थियों की पहचान के बाद सरकार द्वारा उन्हें लाभांश हस्तांतरित किया जाना चाहिए। जिसके लिए सरकार के पास इनकी खाता-संख्या होनी चाहिए। इस कठिनाई पर, 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' के माध्यम से काफी हद तक काबू पा लिया गया है। गत वर्ष, रिकॉर्ड तेजी से 120 मिलियन बैंक खाते खोले गये, लगभग 3 लाख खाते प्रतिदिन। जन-धन की इस आश्चर्यजनक सफलता के बावजूद भी बचत खाते की पैठ, प्रदेशों में एकसमान नहीं रही है। अत: नीति-निर्धारकों को इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा, जन-धन योजना से वंचित लाभार्थियों तक सरकारी अनुदान कैसे पहुंच सकता है। जन-धन योजना और आधार की पैठ को तुलनात्मक रूप से देखने से यह प्रतीत होता है कि गैर-बैंकिंग कवरेज वाली जनसंख्या 'जाम' के प्रकार में एक अवरोधक के रूप में है।
- ***बैंक → लाभार्थी: लाभार्थियों तक, अंतिम चरण के रूप में, धन पहुंचाने की चुनौती***- ग्रामीण-भारत के लाभार्थियों के घरों तक, अंतिम-मील या चरण के रूप में धन पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। देश में केवल 27% गांव ही ऐसे हैं जो किसी बैंक के पांच किमी के दायरे में स्थित हैं। इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015 में 23 नये बैंकों को (2 सर्वभौम बैंक, 11 अदायगी बैंक और 10 लघु वित्तीय बैंक) लाइसेंस दिया है। देश में 'जाम' के प्रसार से यह परिलक्षित होता है कि मोबाइल की पैठ पूरे भारत में, काफी गहरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त देश में, वर्तमान में लगभग 1.4 मिलियन एजेंट्स या सेवा - स्थल (Service Posts) मौजूद हैं जो 1010 मिलियन मोबाइल उपयोक्ताओं को (1:720 के अनुपात में) सेवा प्रदान कर रहे हैं।

भारत को गहरी मोबाइल पैठ और बड़े एजेंट नेटवर्क का लाभ उठाते हुए, मोबाइल टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक इस्तेमाल करते हुए, सेवा-प्रदाता की गुणवत्ता में सुधार लाना चाहिए। उदाहरणस्वरूप, मोबाइल के जरिये ग्राहकों/लाभार्थियों को यह सूचना प्रदान की जा सकती है कि स्थानीय दुकान में राशन या खाद आ गयी है। यद्यपि इस वर्ष कुछ महत्त्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं जिससे अंतिम-मील की वित्तीय-संबद्धता में सुधार हो सके। 'जाम' कीशृंखला में बैंक एवं लाभार्थियों की चेन अब भी एक कमजोर कड़ी है।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (Universal Basic Income - UBI)

यूबीआई एक न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी है जो प्रत्येक नागरिक को बिना किसी न्यूनतम योग्यता के जीविकोपार्जन हेतु प्रत्येक माह में सरकार के द्वारा दी जाएगी। यह व्यक्ति को किसी अन्य स्रोत से प्राप्त हो रही आय के अतिरिक्त प्राप्त आय होगी। यह बिना किसी उत्तरदायित्व के सभी व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार है इसके लिए व्यक्ति को केवल भारत का नागरिक होना आवश्यक है।

यूबीआई की पृष्ठभूमि

- यूबीआई की अवधारणा को लागू करने के संदर्भ में स्विट्जरलैंड पहला ऐसा देश है, जिसने पिछले साल इस पर जनमत संग्रह किया। परन्तु यूबीआई के वित्तीय प्रभाव और इसकी वजह से लोगों में काम करने की प्रेरणा के खत्म होने की आशंका से स्विट्जरलैंड की जनता ने इसे खारिज कर दिया।
- वर्तमान में फिनलैंड ने यूबीआई को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है, जिसके तहत बहुत थोड़े से लोगों को हर महीने 595 डॉलर के बराबर की राशि दी जाएगी।

UBI के सैद्धांतिक व दार्शनिक आधार

- सामाजिक न्याय
- गरीबी निवारण
- योजना
- प्रशासनिक दक्षता

यूबीआई के पक्ष में तर्क

- प्रत्येक व्यक्ति को एक न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान करने का यह विचार, निश्चित तौर पर संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए गरिमामय जीवन जीने के अधिकार को वास्तविकता प्रदान करेगा।
- सरकार द्वारा नियत राशि दिये जाने से गरीबी और गरीबी के कगार पर खड़े लोग उपभोग के एक निश्चित स्तर को प्राप्त कर सकेंगे और इस तरह वे अपनी आर्थिक दशा सुधारने में सक्षम हो सकेंगे।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में जहाँ असंगठित क्षेत्र में 90% कामगार है, बहुत से लोग जो नि:शक्त व भिक्षावृत्ति से जुड़े हों, एवं विभिन्न प्रकार की अनियोजित विकासात्मक गतिविधि के कारण पलायन को मजबूर हों, उन्हें आर्थिक असुरक्षा के भय से मुक्ति मिलेगी।
- कल्याणकारी व्यय के उपयोग की जिम्मेदारी अब नागरिकों पर भी होगी एवं लेटलतीफी, अफसरशाही, लाभों के मनमाने वितरण आदि की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।

यूबीआई के संभावित लाभ

- यूबीआई का सबसे बड़ा लाभ है, इसका यूनिवर्सल या सार्वभौमिक होना, अर्थात् किसी वर्ग विशेष को या किसी जरूरतमंद वर्ग समूह को अलग से चिह्नित या लक्षित न करके सभी को एक न्यूनतम धनराशि उपलब्ध कराना।
- साथ ही मौसमी व प्रच्छन बेरोजगारी, आपदा, रोगावस्था, नि:शक्तता एवं नियोक्ता द्वारा शोषण की अवस्था में व्यक्ति रोजगार के अभाव में भी अपना जीवनयापन कर सकेगा।
- प्रणाली क्षरण (System Leakage) की समस्या कम होगी एवं जैम प्रणाली (जनधन, आधार, मोबाइल) के उपयोग से लाभार्थी तक सीधे पहुँचा जा सकेगा।
- धन के आवंटन, निगरानी व भ्रष्टाचार पर अंकुश के अनावश्यक दायित्व से नौकरशाही मुक्त होगी।
- जिससे विकास के अन्य कार्यों को गति मिलेगी।

यूबीआई के विपक्ष में तर्क

- एक सतत् सर्वजनीन बुनियादी आय लोगों में कार्य करने के प्रोत्साहन को कम कर सकती है।
- हमारे पितृसत्तात्मक समाज में सरकार द्वारा महिलाओं को जो बुनियादी आय प्रदान की जाएगी, उस पर संभव है कि पुरुषों का नियंत्रण हो जाए।
- यूबीआई से मजदूरी की दर बढ़ने से, वस्तुओं या सेवाओं की मूल्य वृद्धि से महंगाई का ऊर्ध्वाधर चक्र शुरू हो जाएगा।
- बेसिक आय के स्तर को उच्च बनाए रखने में भारत का राजकोषीय संतुलन प्रभावित होगा।

कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न (Some Important Question)

- क्या यूबीआई जनकल्याण की अन्य दूसरी योजनाओं को विदा कर देगी? यदि हाँ तो सरकारी सहायता के अभाव और मांग में वृद्धि से उत्पन्न महंगाई को बेसिक आय कैसे संतुलित कर पाएगी?
- सबसे जटिल प्रश्न यह है कि बेसिक आय का 'मापदंड' क्या होगा? यदि गरीबी रेखा हो तो ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 32 एवं शहरी क्षेत्र में औसतन रूपये 40 के अनुसार लगभग रुपये 1200 प्रतिमाह व वर्ष के रुपये 19,400 होंगे। क्या इससे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा? फिर इस योजना के लिए सरकार पर जो बोझ होगा, वह भारतीय GDP का 9 से 10 फीसदी तक होगा। इस आर्थिक बोझ को सरकार कैसे वहन करेगी?

निष्कर्ष

यूबीआई निश्चित तौर पर सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के संबंध में एक आकर्षक विचार है। किन्तु इसका खाका व्यवहारिक आधारों पर होना चाहिए, ताकि वित्तीय बोझ व राजकोषीय असंतुलन का खतरा न रहे।

इस योजना से धनी व उच्च मध्यवर्गीय लाभार्थियों को बाहर किया जाना चाहिए। निर्धन ब्लॉक एवं जिलों में 'पायलट प्रोजेक्ट' के तौर पर लागू कर इसका बारीकी से मूल्यांकन करना चाहिए। इसके बाद ही चरणबद्ध तरीके से इस योजना को पूरे भारत में लागू करना चाहिए।

ग्लोबल हंगर सूचकांक, 2022 (Global Hunger Index, 2021)

इस रिपोर्ट का संयुक्त प्रकाशन Concern Worldwide and Welthungerlife द्वारा किया गया है और इस सूचकांक का मुख्य फोकस 'Forced Migration and Hunger' है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, 4 संकेतक पर आधारित हैं-

- अल्पपोषण की व्यापकता (Prevalance of Undernourishment)।
- आयु के अनुपात में बच्चों (5 वर्ष से कम आयु) की लंबाई या बौनापन (Child Stunting)।
- लंबाई के अनुपात में बच्चों का वजन (5 वर्ष से कम आयु) (Child Wasting)।
- बाल मृत्यु दर (5 वर्ष से कम आयु) (Child Mortality)।

वैश्विक भूख सूचकांक 2022 (2022 Global Hunger Index- GHI) जारी किया गया। इस सूचकांक में 121 देशों का आकलन किया गया। जिसमें भारत की रैंकिंग 107 है, जबकि वर्ष 2021 में भारत की रैंकिंग 101 थी। इस प्रकार से देखा जाए तो भारत द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के बावजूद सापेक्ष रूप से स्थिति बदतर हुई है। इसका मूल कारण इन योजनाओं का ठीक ढंग से क्रियान्वयन न किया जाना है। भारत में भूख का स्तर गंभीर (Serious) है।

सतत् विकास लक्ष्य, 2030 (Sustainable Development Goal, 2030)

लक्ष्यों पर पृष्ठभूमि

सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) का जन्म रियो डि जेनेरियो में सतत् विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हुआ था। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक लक्ष्यों का एक समूह तैयार करना था, जो हमारी दुनिया के सामने आने वाली पर्यावरणीय, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सके।

SDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (MDGs) की जगह लेते हैं, जिसने गरीबी की गरिमा से निपटने के लिए वर्ष 2000 में एक वैश्विक प्रयास शुरु किया था। एमडीजी ने अत्यधिक गरीबी और भूख से निपटने, घातक बीमारियों को रोकने और अन्य विकास प्राथमिकताओं के साथ सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए औसत दर्जे का, सार्वभौमिक रूप से सहमत उद्देश्यों की स्थापना की।

15 वर्षों के लिए, एमडीजी ने कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति की है, आय गरीबी को कम करना, पानी और स्वच्छता तक पहुंच प्रदान करना, बाल मृत्यु दर को कम करना और मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना आदि। मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन भी शुरू किया गया। जिससे प्रेरित देश अपनी भावी पीढ़ियों में निवेश कर सकें। सबसे महत्त्वपूर्ण रूप से, एमडीजी ने एचआईवी/एड्स और मलेरिया तथा तपेदिक जैसे अन्य उपचार योग्य रोगों का मुकाबला करने में भारी प्रगति की है।

इसके अंतर्गत 17 मुख्य तथा 169 सहायक लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए 5पी (People, Planet, Peace, Prosperity and Partnership) पर जोर दिया गया है। यह 17 लक्ष्य निम्न है:

जिसमें से पहले दो लक्ष्य सीधे-सीधे गरीबी निवारण से जुड़े हुए है।

लक्ष्य-1 नो पॉवर्टी

अपने सभी रूपों में गरीबी का उन्मूलन मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जबकि 1990 और 2015 के बीच चरम गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आई है, परंतु बहुत से लोग अभी भी बुनियादी मानवीय जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

2020 तक, लगभग 736 मिलियन लोग अभी भी प्रतिदिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन गुजार रहे थे, अनेकों के जीवन में भोजन, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की कमी है। चीन और भारत जैसे देशों में तेजी से विकास ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, लेकिन प्रगति असमान है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में गरीब होने की अधिक संभावना है क्योंकि उनके पास काम, शिक्षा और खुद की कम संपत्ति हैं।

दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका जैसे अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति सीमित रही है, जहां अत्यधिक गरीबी में रहने वाले 80 प्रतिशत लोगों की उपस्थिति है। जलवायु परिवर्तन, संघर्ष और खाद्य असुरक्षा द्वारा होने वाले खतरे, लोगों को गरीबी से बाहर लाने के लिए और भी अधिक काम करने की आवश्यकता को इंगित करते हैं।

एसडीजी एक ठोस प्रतिबद्धता है जो हमने शुरू की, और 2030 तक सभी रूपों और आयामों में गरीबी को समाप्त करने का संकल्प लिया।

तथ्य व आंकड़े

- 736 मिलियन लोग अभी भी अत्यधिक गरीबी में रहते हैं।
- दुनिया की 10 प्रतिशत आबादी अत्यधिक गरीबी में रहती है, जो 1990 में 36 प्रतिशत थी।
- लगभग 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में रहते हैं।
- गरीबी में रहने वाले लोगों में से आधे की उम्र 18 से कम है।
- 1.90 डॉलर से कम पर रहने वाले 80 प्रतिशत लोग दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में हैं।

लक्ष्य-2 जीरो हंगर

तेजी से आर्थिक विकास और कृषि उत्पादकता में वृद्धि के कारण पिछले दो दशकों में कुपोषित लोगों की संख्या लगभग आधी हो गई है। कई विकासशील देश जो अकाल और भूख से पीड़ित थे, अब अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। मध्य और पूर्वी एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन सभी ने अत्यधिक भूख को मिटाने में भारी प्रगति की है।

दुर्भाग्य से, अत्यधिक भूख और कुपोषण कई देशों में विकास के लिए एक बड़ी बाधा बने हुए हैं। पर्यावरणीय गिरावट, सूखा और जैव विविधता के नुकसान के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 2021 तक कुल लगभग 821 मिलियन लोगों के कुपोषित होने का अनुमान है, पांच साल से कम उम्र के 90 मिलियन से अधिक बच्चे खतरनाक रूप से कम वजन वाले हैं। अफ्रीका के लगभग सभी क्षेत्रों के साथ-साथ दक्षिण अमेरिका भी गंभीर खाद्य असुरक्षा की ओर बढ़ती जा रही है। एसडीजी का उद्देश्य 2030 तक सभी प्रकार की भूख और कुपोषण को समाप्त करना है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी लोग विशेष रूप से बच्चे पूरे वर्ष पर्याप्त और पौष्टिक भोजन प्राप्त करें। इसमें स्थायी कृषि को बढ़ावा देना, छोटे पैमाने पर किसानों का समर्थन करना और भूमि, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक समान पहुंच बनाना शामिल है। कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में निवेश सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता है।

तथ्य और आंकड़े

- 2021 में कुपोषित लोगों की संख्या 821 मिलियन तक पहुंच गई।
- 2021 में एशिया में दुनिया की भूख से पीड़ित जनसंख्या का लगभग दो तिहाई (63%) था।
- 8 में से 1 से अधिक वयस्क मोटे होते हैं।
- प्रजनन आयु की 3 में से 1 महिला एनीमिक है।
- 26 प्रतिशत श्रमिक कृषि में कार्यरत हैं।

वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 (Global Nutrition Report 2021)

वैश्विक पोषण रिपोर्ट (Global Nutrition Report, 2021) जारी की गयी जिसके अनुसार भारत ने एनीमिया और बचपन की बर्बादी पर कोई प्रगति नहीं की है।

वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 चर्चा में:

- हाल ही में 2021 की वैश्विक पोषण रिपोर्ट जारी की गयी जिस के अनुसार भारत ने एनीमिया और बचपन की बर्बादी पर कोई प्रगति नहीं की है।

वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 के महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 के अनुसार 15-49 आयु वर्ग की आधी से अधिक भारतीय महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं।
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2016 के बाद से एनीमिया से पीड़ित भारतीय महिलाओं में वृद्धि हुई है।
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत भी उन 23 देशों में शामिल है, जिन्होंने 'बचपन की बर्बादी' को कम करने पर कोई प्रगति नहीं की है या बिगड़ रहे हैं।
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया भर में:
  1. 5 साल से कम उम्र के अविकसित बच्चे : 149.2 मिलियन बच्चे
  2. वेस्टेड : 45.4 मिलियन बच्चे
  3. अधिक वजन वाले : 38.9 मिलियन बच्चे
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सभी पुरुषों और महिलाओं में से 40% से अधिक (लगभग 2.2 बिलियन लोग) अधिक वजन वाले या मोटे हैं।
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 के अनुसार 161 देशों में एनीमिया के स्तर में कोई प्रगति या नुकसान नहीं दिख रहा है।
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 के अनुसार आहार संबंधी जोखिमों के कारण समय से पहले होने वाली मौतों का अनुपात:
  1. सबसे अधिक: उत्तरी अमेरिका और यूरोप (प्रत्येक में 31%)
  2. सबसे कम: अफ्रीका (17%)

वैश्विक पोषण रिपोर्ट के बारे में:

- वैश्विक पोषण रिपोर्ट की कल्पना 2013 में ग्रोथ इनिशिएटिव समिट (N4G) के लिए पहले न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट (N4G) के बाद की गई थी, जो सरकारों, सहायता दाताओं, नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्र और व्यवसायों में फैले 100 हितधारकों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं पर नजर रखने के लिए एक तंत्र के रूप में थी।
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट की उद्देश्य सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करने के लिए सरकारों, दाताओं, नागरिक समाज संगठनों, व्यवसायों और अन्य लोगों को प्रेरित करना है।
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट को प्रगति और चुनौतियों पर प्रकाश डालने के लिए प्रत्येक वर्ष डेटा-आधारित और उत्पादित किया जाता है।
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट मानव स्वास्थ्य और ग्रह पर खराब आहार के प्रभाव का भी मूल्यांकन करता है।
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट पोषण वित्त पोषण परिदृश्य का आकलन करता है।
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट विकास प्रतिबद्धताओं के लिए पिछले पोषण पर रिपोर्टिंग का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है।

भारत में कुपोषण से लड़ने के लिए किए गए उपाय

मध्याह्न भोजन योजना:

- मध्याह्न भोजन योजना भारत में एक स्कूली भोजन कार्यक्रम है जिसे स्कूली उम्र के बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसमें सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूली छात्र शामिल हैं, जिनमें समग्र शिक्षा अभियान के तहत समर्थित मदरसे भी शामिल हैं।

पोषण अभियान:

- पोषण अभियान को 2017 में मंजूरी दी गई थी।
- पोषण अभियान 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-मंत्रालयी अभिसरण मिशन है।
- पोषण अभियान को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) द्वारा लागू किया जा रहा है।

मातृत्व सहयोग योजना:

- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY) एक सशर्त मातृत्व लाभ (CMB) योजना है जिसे 2010 में शुरू किया गया था।
- यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है।
- इसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए शुरू किया गया था ताकि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन प्रदान करके पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार किया जा सके।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (केंद्र प्रायोजित योजना) 2017 में शुरू की गई थी।
- डिलीवरी के लिए बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने के लिए 6,000 सीधे गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं और परिवार के पहले बच्चे इसके पात्र होते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को 2007-08 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की कृषि उप-समिति की सिफारिशों पर आधारित था।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से लक्षित फसलों के उत्पादन में सतत् वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं:

- एकीकृत बाल विकास सेवा 2 अक्टूबर, 1975 को शुरू की गयी थी। और यह योजना बचपन की देखभाल और विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े और अनूठे कार्यक्रमों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है।
- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत निम्नलिखित लाभार्थी इस योजना का फायदा उठा सकते है:
    1. 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे,
    2. गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं

राष्ट्रीय पोषण मिशन:

- राष्ट्रीय पोषण मिशन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच स्टंटिंग और वेस्टिंग को 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष (2022 तक कुल 6 प्रतिशत) और एनीमिया प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत (2022 तक कुल 9 प्रतिशत) कम करना है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए नोडल मंत्रालय है।

राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट-2021-22

हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा के पाँच मापदण्डों पर राज्यों का प्रदर्शन मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा सूचकांक विकसित किया गया है।

- बड़े राज्यों में तमिलनाडु रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र का स्थान रहा है।
- छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर है, उसके बाद मणिपुर और सिक्किम का स्थान रहा है।
- केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और चण्डीगढ़ क्रमश: शीर्ष स्थान पर है।
- खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट यह सुनिश्चित करती है कि, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में उत्पादन से लेकर कटाई, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण, तैयारी और उपभोग तक सभी तरह से भोजन सुरक्षित रहे।
- दुनिया भर में अनुमानित 4,20,000 लोग प्रतिवर्ष दूषित भोजन खाने से मर जाते हैं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे खाद्य जनित बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें से प्रतिवर्ष 1,25,000 की मौत हो जाती है।
- भारत में खाद्य सुरक्षा और पोषण के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को प्रोत्साहित करने व मान्यता देने के लिए 'ईट राइट रिसर्च आवर्ड्स' तथा अनुदान भी शुरू किये गये है।